अगस्त 2022

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

ग्रामीण उद्योग

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलान भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com
हमसे संपर्क करें- **फोन: 011-24367453**, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

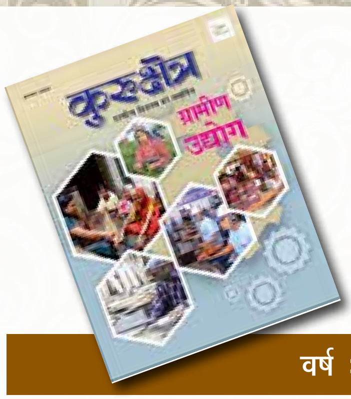

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 68 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 52 ★ श्रावण–भाद्रपद 1944 ★ अगस्त 2022

वरिष्ठ संपादक : **ललिता खुराना**

संयुक्त निदेशक : **डी.के.सी. हृदयनाथ**

आवरण : **राजिन्द्र कुमार**

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई–पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या lmazon पर लॉग–इन करें।

वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर मेल करें ई–मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाष: 011–24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

रोज़गार और सम्पन्नता के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा 5
–डॉ नीलम पटेल, डॉ तनु सेठी, डॉ ए.जी. अदीत कार्यप्पा

ग्रामीण उद्योगों का बदलता स्वरूप 12
–पीयूष प्रकाश, हर्षित मिश्रा

ग्रामीण उद्योग, उद्यमिता और अवसंरचना 18
–डॉ इशिता जी. त्रिपाठी

स्थानीय उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती 23
– अरविन्द कुमार मिश्रा

खादी, ग्रामोद्योग और रोज़गार 28
–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

कृषि कारोबार के बढ़ते अवसर 34
–भुवन भास्कर

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन 38
–डॉ. वीरेन्द्र कुमार

ग्रामीण उद्यमिता में प्रचुर संभावनाएं 44
–शिशिर सिन्हा

समुचित भागीदारी- समावेशी लक्ष्य 48
–डॉ भारती प्रवीण पवार

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079–26588669

संपादकीय

बेरोज़गारी आज पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। कोविड महामारी के बाद भारत में भी बेरोज़गारी की दर काफी बढ़ी लेकिन साथ ही इस महामारी ने भारत की *आत्मनिर्भर* होने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के *आत्मनिर्भर भारत* अभियान के आह्वान के बाद से देश में स्वदेशी के प्रति बेहद सकारात्मक माहौल बना है और आम जन में प्रधानमंत्री के *आत्मनिर्भर भारत* के स्वप्न को साकार करने की आकांक्षाएं हिलोरे खा रही हैं। आत्मनिर्भरता में 'स्वदेशी' का आह्वान है और स्वदेशी से 'भारतीयता' का जज़्बा जुड़ा है जो इस स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है।

केंद्र सरकार *आत्मनिर्भर भारत* के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं भी प्रतिबद्ध है और समय–समय पर इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नई–नई योजनाएं शुरू कर आम जन को इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित कर रही है। युवाओं को अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए उपयुक्त पारितंत्र का विकास किया जा रहा है चूंकि उचित माहौल में ही सपनों को फलने–फूलने का अवसर मिलता है। उद्यमशीलता की अहमियत तभी है जब उससे हमारे स्थानीय समुदायों विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ग्रामीण भारत की समृद्ध कला–शिल्प को दुनिया के सामने लाने के लिए केंद्र सरकार *एक ज़िला एक उत्पाद योजना* लेकर आई है और बेहद थोड़े समय में ही यह योजना देश को नए मुकाम पर ले जाने में कामयाब हो रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जून, 2022 को जी–7 समिट का हिस्सा बनने जर्मनी के दौरे पर गए थे। यहां द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ पीएम मोदी की एक छोटी–सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का खूब ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री जी–7 के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देने के लिए ऐसी वस्तुएं अपने साथ लेकर गए, जो अब तक भारत के गाँव और छोटे शहरों में ही कैद थीं। प्रधानमंत्री की इस छोटी–सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हुनर को न सिर्फ वैश्विक पहचान दी बल्कि *वोकल फॉर लोकल* की व्यावसायिक अहमियत को समझाने का भी प्रयास किया। भेंट की गईं वस्तुएं किसी बहुउद्देशीय कंपनी (एमएनसी) में तैयार उत्पाद नहीं थे, बल्कि भारत के गाँवों और कस्बों में तैयार होने वाला वह साज़ो–सामान है जो देश के अलग–अलग ज़िलों को पहचान दे रहा है। यह सभी केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित *एक ज़िला एक उत्पाद* (ओडीओपी) योजना की सूची में शामिल उत्पाद हैं। *आत्मनिर्भर भारत* को मज़बूती देने वाली इस योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न साझेदार एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण का मौजूदा स्तर 10 प्रतिशत है जिसे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है ताकि किसानों की आय बढ़ायी जा सके। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसका उत्पादन वर्ष 2025–26 तक 535 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा वितरण की कुशल एवं एकीकृत प्रणालियों को विकसित करने तथा अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे देश की बदलती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्तमान समय में भारतीय कृषि उत्पादों का लगभग 10वां हिस्सा ही संसाधित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का लक्ष्य इसे वर्तमान स्तर से तीन गुना करने का है। केंद्रीय बजट 2022–23 में फसलों के मूल्य संवर्धन पर ज़ोर देने की बात कही गई है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि से जुडे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की मदद से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उनमें दुनिया के बाज़ारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे *आत्मनिर्भर भारत* अभियान के मज़बूत भागीदार बने।

आज भारत को अपने अत्यधिक जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का दोहन करते हुए युवाओं की क्षमता का उचित उपयोग करना चाहिए। हम जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का कितना दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, यह मुख्य तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रभावी तरीके से रोज़गार सृजित कर कार्यशील जनसंख्या को प्रशिक्षित कर पाते हैं। साथ ही, कृषि को संपोषणीय और लाभकारी बनाने, ग्रामीण शिल्पकारों के लिए बाज़ार विकसित करने, महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को ऑन–लाइन बेचने में सक्षम बनाने तथा डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

आज ज़रूरत है ग्रामीण भारत की छुपी हुई शक्ति का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए किया जाए ताकि उनके जीवन–स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। इस दिशा में केंद्र सरकार के पुरज़ोर प्रयास निसंदेह देश को नए मुकाम हासिल करने में मददगार साबित होंगे।

सभी पाठकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रोज़गार और सम्पन्नता के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

–डॉ नीलम पटेल, डॉ तनु सेठी, डॉ ए.जी. अदीत कार्यप्पा

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में ग्रामीण औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुविचारित नीतियों, सहायक नवोन्मेषों, स्टार्टअप संस्थाओं को प्रोत्साहन और डिजिटलीकरण के ज़रिए ग्रामीण औद्योगीकरण से गाँवों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक बेहतरीन कदम होगा।

देश की आबादी का 68.8 प्रतिशत और कार्यबल का 72.4 प्रतिशत हिस्सा गाँवों में निवास करता है (जनगणना 2011)। लिहाज़ा, ग्रामीण भारत को मानव पूंजी के विशाल भंडार के तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर नए भारत की परिकल्पना में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास में तेज़ी लाने की संभावनाओं से भरपूर सम्पदा के रूप में देखा गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं–''भारत की ताकत उसके गाँवों में है। हमारा लक्ष्य ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को खत्म करना है।''[1] भारत की राष्ट्रीय आय में 46 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है (रमेश चंद और अन्य, 2017)। इसलिए देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में ग्रामीण औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों का सर्वांगीण विकास, गरीबी उन्मूलन, गाँवों और शहरों के बीच खाई का शमन तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति ग्रामीण आजीविका और सबके लिए समुचित रोज़गार से सीधे तौर पर जुड़ी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि, वन, हथकरघा और छोटे उद्योगों पर केंद्रित हैं। विभिन्न छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए अनेक मंत्रालय योजनाएं चला रहे हैं। इन उद्यमों में सामाजिक, छोटे और कुटीर उद्योगों समेत गैर–कृषि, सेवा तथा खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यम शामिल हैं। इन उद्यमों में ग्रामीण मानव संसाधनों को ज़्यादा उत्पादक और संवहनीय ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता है। ग्रामीण विकास और गाँवों के सशक्तीकरण के लिए निचले स्तर पर अनेक स्टार्टअप और

1 https://www.pmindia.gov.in/en/quotes/

''स्टार्टअप हमारे सपनों के नए भारत की रीढ़ हैं।''

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम हैं जिनसे गाँवों में रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के ज़रिए डिजिटल समावेशन और वित्तीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण और ग्राम समुदायों की जीवन सुगमता को गति मिल रही है।

पिछले दशक में खासतौर से शहरी क्षेत्रों में आबादी में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 में ग्रामीण आबादी 74.3 करोड़ और शहरी जनसंख्या 28.6 करोड़ थी। लेकिन 2011 में ग्रामीण आबादी 83.3 करोड़ और शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ तक पहुंच गई (जनगणना 2011)। इस दौरान पुरुषों की शहर और ग्रामीण कार्यबलों में हिस्सेदारी की दर बराबर रही। लेकिन शहर की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक हो गई। वर्ष 2011–12 में शहरी कार्यबल में हिस्सेदारी की दर पुरुषों की 54.6 प्रतिशत और महिलाओं की 14.7 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, ग्रामीण कार्यबल में हिस्सेदारी की दर पुरुषों की 54.3 प्रतिशत और महिलाओं की 24.8 प्रतिशत रही। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, अच्छी मजदूरी और कौशल विकास से सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और गांवों से शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने से आजीविका के अवसर पैदा होंगे। मजदूरों के कृषि से उद्योगों की ओर गमन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन आएगा। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में ग्रामीण उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योगों में आम उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होने के साथ ही इनसे रोज़गार भी मिलते हैं। ग्रामीण उद्योग गाँवों के संसाधनों पर निर्भर गैर–कृषि गतिविधियाँ हैं। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों, मानव शक्ति और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करना है। इन्हें आमतौर पर छोटे या ग्राम उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण उद्योगों में गाँवों में स्थित खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम पालन, नारियल और सेवा उद्योग शामिल हैं[2]। गाँवों में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र आजीविका के मुख्य स्रोत हैं और ग्रामीण आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं से जुड़ा है।

गाँवों के औद्योगीकरण से ग्रामीण के साथ ही अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा। छोटे उद्योगों की स्थापना से गैर–कृषि गतिविधियों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण आबादी का जीवन–स्तर सुधरेगा, गरीबी खत्म होगी, शहरों की ओर पलायन घटेगा, किसानों को खेती के मौसम के बाद भी रोज़गार मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ग्राम समुदायों के सामाजिक दर्जे का उन्नयन होगा। देश के ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2019, एमएसएमई, 2021)।

भारत में ग्रामीण उद्योगों को पैमाने और मुख्य कार्यों के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है[2]। आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और विकास के लिए उद्योगों को चार समूहों में विभाजित किया गया है।

- **पारम्परिक ग्राम उद्योग**– खादी, चर्मशोधन, काष्ठकला, शिल्प, सूती कपड़ा, हथकरघा, पॉवरलूम और वस्त्र, हस्तशिल्प, नारियल, रेशम पालन और ऊन विकास इत्यादि।
- **भारी उद्योग**–मिनी इस्पात संयंत्र, जैविक आदानों का उपयोग करने वाले उर्वरक और कीटनाशक संयंत्र और सहायक इंजीनियरी उपक्रम, इत्यादि।
- **मझोले उद्योग**–ऊर्जा के लिए शीरे या कोयले का इस्तेमाल करने वाले छोटे सीमेंट और कागज संयंत्र इत्यादि।
- **हल्के उद्योग**–पशु चारा, कब्जे, जालियां, दरवाजों और खिड़कियों के चौखट एवं छत जैसी निर्माण सामग्रियों तथा कृषि औज़ार और मशीनरी इत्यादि बनाने वाले संयंत्र।

अपेक्षाकृत ज़्यादा शिक्षित ग्रामीणों को ग्रामीण औद्योगीकरण से नियमित रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा, कम शिक्षित ग्रामीणों को दिहाड़ी मजदूरी जैसे आकस्मिक रोज़गार और उद्यमियों को स्वरोज़गार प्राप्त होंगे।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रः किसानों और उद्योगों के बीच की कड़ी

वर्ष 2020–21 में कृषि और इससे सम्बद्ध उद्योगों की विकास दर 3.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2021–22 में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में इनका हिस्सा 18.8 प्रतिशत था। पशुपालन, डेयरी और मत्स्योद्योग समेत कृषि से संबंधित क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास में उनका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22)। देश में मवेशी क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर चक्रवृद्धि सालाना विकास दर (सीएजीआर) 2014–15 और 2019–20 के बीच 8.15 प्रतिशत रही। इसी काल में दूध, अंडा और मांस उत्पादन की सीएजीआर क्रमशः 6.28 प्रतिशत, 7.82 प्रतिशत और 5.15 प्रतिशत रही।

कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी 83.3 करोड़ है। यह देश की कुल आबादी

---

2 ग्रामीण औद्योगीकरण। https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/59477/1/Unit3.pdf

3 यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। rurban.gov.in

का लगभग 68 प्रतिशत है। वर्ष 2001 और 2011 के बीच ग्रामीण आबादी की वृद्धि दर 12 प्रतिशत रही और गाँवों की संख्या में 2279 का इज़ाफा हुआ[3]। लेकिन खेतिहर मजदूरों के गांवों से शहरों की ओर पलायन की वजह से कृषि क्षेत्र में कार्यबल की हिस्सेदारी 2001 में 58.2 प्रतिशत से घट कर 2011 में 54.6 प्रतिशत रह गई। इस कार्यबल में किसान और खेतिहर मजदूर, दोनों ही शामिल हैं। ज़्यादातर खेतिहर मजदूर छोटे और सीमांत किसान हैं। वे उद्योग और सेवाओं में रोज़गार के बेहतर अवसर, बढ़ते शहरीकरण और खेती में कम आमदनी समेत विभिन्न वजहों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं (कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, 2020)। इसलिए कृषि में लगे अतिरिक्त श्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोज़गार दिलाने की ज़रूरत है। ग्रामीण उद्योगों की स्थापना से बड़ी तादाद में पलायन पर रोक, ढांचागत परिवर्तन और रोज़गार सृजन जैसे विकास के कई लक्ष्य प्राप्त किए सकते हैं।

कृषि और गैर–कृषि आधारित उद्योग, रोज़गार पैदा करने के अलावा, गाँवों से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगा सकते हैं। ग्रामीण उद्योगों और कृषि का विकास एक–दूसरे के पूरक हैं। कृषि तथा मछली पालन, डेयरी, मुर्गीपालन और खनन जैसी उससे संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानी जाती हैं। द्वितीयक या मैनुफैक्चरिंग उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य संवर्धन करते हैं। इनमें गैर–कृषि आधारित, हल्के और नारियल रेशा जैसे उद्योग आते हैं[4]। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि से ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण उपक्रमों का स्वामित्व सरकार और निजी क्षेत्र के बड़े संस्थानों के अलावा, स्थानीय या बाहरी उद्यमियों के अनौपचारिक संगठन के हाथों में भी हो सकता है।

मौजूदा समय में ग्रामीण आय का लगभग दो–तिहाई हिस्सा गैर–कृषि गतिविधियों से आता है। ग्रामीण इलाके भारत के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में कुल मूल्य संवर्धन में आधे से अधिक हिस्से का योगदान करते हैं (रमेश चंद और अन्य, 2017)। यह तथ्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के वर्चस्व की आम धारणा के विपरीत हैं। अर्थव्यवस्थाओं के विकास और आजीविका के अवसरों के सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संवहनीय औद्योगिक लिंकेज का निर्माण महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप तंत्र और डिजिटलीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ज़रिए खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्थाओं को सहायता दिए जाने से गाँवों में विकास परियोजनाओं और निवेश को बल मिलेगा।

'मेक इन इंडिया' और कृषि एवं ग्रामीण उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

भारत सरकार के मिशन के तौर पर चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' के तहत ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निचले स्तर पर ग्रामीणों और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक मंत्रालयों ने बहुक्षेत्रीय योजनाएं चलायी हैं (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2016)। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं –

- **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और ज़िला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के ज़रिए नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना है। इस योजना को 2008–09 से चलाया जा रहा है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य एजेंसी केवीआईसी है। इस योजना का उद्देश्य खासतौर से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के लिए रोज़गार पैदा करना है। पीएमईजीपी के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के ज़रिए छोटे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योग लगाने के वास्ते प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किसान इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत अनेक तरह के उद्योग लगा सकते हैं। इनमें खाद्य एवं फल और सब्जी प्रसंस्करण, तेल, गुड़ और खांडसारी उत्पादन, औषधीय वनस्पति, मधुमक्खी पालन, वन आधारित छोटे उद्यम तथा हस्तनिर्मित कागज़ और रेशे का निर्माण जैसे उद्योग शामिल हैं (एमएसएमई, 2021)।

क्रियान्वयन की शुरुआत के समय से 31 दिसंबर, 2021 तक पीएमईजीपी के तहत 17819.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी से लगभग 7.38 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की सहायता की जा चुकी थी। इससे लगभग 60.60 लाख व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं (एमएसएमई, 2022)। जिन इकाइयों को सहायता दी गई है, उनमें से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तकरीबन 50 प्रतिशत इकाइयों का स्वामित्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के हाथों में है। पीएमईजीपी को पंद्रहवें वित्त आयोग के काल, 2021–22 से 2025–26 तक 13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय से जारी रखा गया है। इससे लगभग 40 लाख व्यक्तियों को रोज़गार के संवहनीय अवसर प्राप्त होने की संभावना है। पीएमईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों को बने रहने के लिए भी निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है।

- **नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (एस्पायर):** प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख उदीयमान क्षेत्र हैं। 'एस्पायर' के तहत कृषि उद्योग में उद्यमिता विकास के लिए प्रौद्योगिकी और उद्भवन केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही, इस उद्योग में नवोन्मेष के लिए स्टार्टअप संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना को 18 मार्च, 2015 को शुरू

4 https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/18776/3/Unit-10.pdf

किया गया तथा इसके तहत कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण और उद्भवन सहयोग भी दिया जाता है। ग्रामीण आजीविका व्यवसाय उद्भवक (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय उद्भव (टीबीआई) और स्टार्टअप के लिए कोष इसका माध्यम हैं। यह योजना ज़िला–स्तर पर विकास में मददगार होने के अलावा अपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवोन्मेषी व्यवसाय समाधानों तथा सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है[5]। वित्त वर्ष 2020–21 में कुल 31 एलबीआई को मंज़ूरी दी गई। मौजूदा समय में देश में 61 एलबीआई काम कर रहे हैं (एमएसएमई, 2022)। देश भर में 31 दिसंबर, 2021 तक 54,801 व्यक्तियों को एलबीआई में प्रशिक्षण दिया जा चुका था। इनमें से 15169 प्रशिक्षुओं ने स्वरोज़गार अपनाया और 8928 को अन्य इकाइयों में नौकरी मिली (एमएसएमई, 2022)।

स्टार्टअप्सः गाँवों में उद्यमिता के उत्प्रेरक

स्टार्टअप्स संस्थाएं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती हैं। भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए *स्टार्टअप इंडिया* कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मज़बूत परिवेश का निर्माण है। इस कार्यक्रम के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सूक्ष्म इकाइयों समेत विभिन्न उद्यमों को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता देता है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत पहलकदमियां समावेशी हैं और उन्हें सभी राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम में योग्य स्टार्टअप संस्थाओं को *स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना* (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए *फंड ऑफ फंड्स* (एफएफएस) योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं। उन्हें खरीद में सहूलियत, तीन वर्षों के लिए आयकर में छूट, बौद्धिक संपदा संरक्षण, भारतीय स्टार्टअप संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय आकलन और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जैसी सुविधाएं भी मुहैया करायी जाती हैं (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2021)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार हर राज्य और संघशासित क्षेत्र से कम–से–कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ज़रूर है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं में से लगभग 50 प्रतिशत दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों से हैं। देश के 640 से ज़्यादा ज़िलों में फैली मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं ने सात लाख से ज़्यादा रोज़गार पैदा किए हैं। डीपीआईआईटी ने 56 विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है। वस्तु इंटरनेट (आईओटी), रोबोटिक्स, कृत्रिम मेधा (एआई) और एनालिटिक्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों से संबंधित 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप संस्थाओं को मान्यता दी गई है (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2022)।

कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप संस्थाओं से कृषि उद्योग क्षेत्र में सुधार आ रहा है। साथ ही, कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों की कार्यकुशलता में वृद्धि भी हो रही है। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने कृषि उद्यमिता से संबंधित कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें *नवोन्मेष और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम* शामिल है जिसकी शुरुआत 2018–19 में *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* (आरकेवीवाई–रफ्तार) के अंतर्गत की गई। इस कार्यक्रम के तहत उद्भवन परिवेश के पोषण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों की कुल 799 स्टार्टअप संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है जिनमें कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं। नयी परियोजनाओं और स्टार्टअप संस्थाओं को *राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष* कोष (एनएआईएफ) से सहायता दी जाती है जिसकी शुरुआत 2016–17 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने की थी। एनएआईएफ के तहत 50 संस्थानों ने कुल 818 स्टार्टअप संस्थाओं को मदद दी है जिनमें कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं (कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, 2021, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, 2022)।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अधीन एक *स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम* (एसवीईपी) शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को गाँव के स्तर पर गैर–कृषि क्षेत्रों में उद्यम लगाने के लिए सहायता दी जाती है। एसवीईपी के अंतर्गत 19 राज्यों में गांवों में सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए 2614 स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) उद्यमियों को सामुदायिक उपक्रम कोष (सीईएफ) से 8.60 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022)।

ग्रामीण महिला सशक्तीकरण

ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की अनुमानित हिस्सेदारी 24.8 प्रतिशत है। ग्रामीण महिला कार्यबल का 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में लगा है। केवीआईसी ने ग्रामीण महिलाओं और खासतौर से गरीबी रेखा से नीचे की स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलायी हैं। केवीआईसी के खादी कार्यक्रम से 4.65 लाख व्यक्तियों को आजीविका मिली है जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। महिला उद्यमियों ने 2017–18 में खादी कार्यक्रम के तहत 463.35 करोड़ रुपये की मार्जिन राशि से 15,669 परियोजनाएं शुरू कीं (एमएसएमई, 2019)। केवीआईसी अपनी पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए अगरबत्ती बनाने वाली इकाइयों के एक अनूठे मॉडल को प्रोत्साहन दे रहा है। इस तरह

---

5 एस्पायर – नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। startupindia.gov.in

की अगरबत्ती इकाइयां लगाने के लिए असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी के माध्यम से 50 इकाइयों को प्रति इकाई पांच लाख रुपये प्रदान किए गए हैं (एमएसएमई, 2021)।

पीएमईजीपी योजना में महिला उद्यमियों को विशेष वर्ग में रखा गया है। उन्हें परियोजना की स्थापना के लिए शहर में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। पीएमईजीपी की शुरुआत से 2020–21 तक इस योजना के तहत स्थापित कुल परियोजनाओं में से लगभग 37 प्रतिशत महिलाओं की हैं। महिला उद्यमियों ने पीएमईजीपी के तहत 31923 परियोजनाओं की शुरुआत की है (एमएसएमई, 2021)। मार्च, 2018 में एक डिजिटल सूचना प्लेटफॉर्म *उद्यम सखी पोर्टल* (https://udyamsakhi.msme.gov.in/) को शुरू किया गया। यह पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा और संभावित महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं मुहैया कराता है (एमएसएमई, 2022)।

ग्रामीण महिलाओं को नारियल रेशा उद्योग में बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। देश की ज़्यादातर नारियल रेशा इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत कार्यबल महिलाएं हैं। महिलाओं को नारियल रेशा उद्योग की मुख्यधारा में लाने के लिए *महिला कॉयर योजना* (एमसीवाई) चलायी गई है। एमसीवाई विशेष रूप से ग्रामीण महिला हस्तशिल्पियों के लिए चलाया गया कौशल विकास कार्यक्रम है। एमसीवाई के तहत ग्रामीण महिलाओं को नारियल रेशे निकालने और कॉयर प्रसंस्करण गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम को कॉयर बोर्ड प्रशिक्षण केंद्रों के ज़रिए खासतौर से नारियल उत्पादन वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है[6]।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः ग्रामीण क्षेत्र के लिए अवसर

खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार और आमदनी का बड़ा स्रोत है। जीडीपी में योगदान, रोज़गार और निवेश के लिहाज से देखें तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण, अवसंरचना निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के मकसद से योजनाएं शुरू की हैं। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम भी उठाए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2016–17 से *प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना* (पीएमकेएसवाई) शुरू की है। केंद्र सरकार की इस आच्छादन योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास है।

कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली है और इससे लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत i) मेगा फूड पार्क, ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार iv) कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए अवसंरचना, v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता गारंटी, vii) मानव संसाधन और संस्थान तथा viii) ऑपरेशन ग्रीन को रखा गया है। मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में 41 मेगा फूड पार्कों, 353 शीत श्रृंखला परियोजनाओं, 63 कृषि प्रसंस्करण समूहों, 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, 63 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं और छह ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, 2021)।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने *आत्मनिर्भर भारत* के तहत ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य ऋण आधारित सब्सिडी पैकेज शुरू किया है। इसे *प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम औपचारीकरण योजना* (पीएमएफएमई)* के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन या उन्नयन के लिए ऋण आधारित सब्सिडी आवंटन के ज़रिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक इस योजना को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, 2021)।

पारम्परिक सामान उद्योगः ग्रामीण शिल्पकारों को प्रोत्साहन

पारम्परिक उद्योग भी विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़े के सामान और आयुर्वेदिक दवाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों की प्रतिभा, रचनात्मकता और कड़ी मेहनत को मान्यता देने के लिए *'ए स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनेरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़'* (स्फूर्ति) योजना शुरू की गई है। इस योजना में पारम्परिक उद्योगों, शिल्पकारों और छोटे किसानों को समूहों में संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना मूल्य संवर्धन के ज़रिए उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बना कर उन्हें संवहनीय रोज़गार मुहैया कराती है। *स्फूर्ति* ने बांस, शहद और खादी जैसे पारम्परिक उद्योगों में परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। योजना के विभिन्न तत्वों में डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण और उत्पाद विविधीकरण तथा ई–वाणिज्य पोर्टलों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना शामिल है। यह पारम्परिक उद्योग और शिल्पकार समूहों को बाज़ार की मांग को पूरा करने और संवहनीय ढंग से लाभप्रदता के लिए सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2015 से 30 नवंबर, 2021 तक केंद्र सरकार के 1106 करोड़ रुपये के अनुदान से 434 समूहों को मंज़ूरी दी गई जिसका लाभ 2.50 लाख शिल्पकारों को मिलेगा (एमएसएमई, 2022)[5]।

ग्रामोद्योग विकास योजना गाँव आधारित उद्योगों के विकास पर केंद्रित है। इस योजना के दो प्रमुख हिस्से *हनी मिशन* (मधुमक्खी पालन कार्यक्रम) और *कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम* हैं। इन

6 https://msme.gov.in/coir-board

*पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज़

कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों और आदिवासियों की आमदनी का अनुपूरण और बेरोज़गार युवाओं का कौशल उन्नयन है। योजना के तहत छोटे किसानों और ग्रामीण कुम्हारों को जीवित मधुमक्खियों के छत्ते, बिजली की चाक, अनुमिश्रक, मिट्टी पीसने की चक्की और भट्टी वितरित की जाती हैं (एमएसएमई, 2021)।

कृषि सम्बद्ध क्षेत्र–पशुपालन, डेयरी और मत्स्योद्योगः भविष्य के उद्योग

विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत ही है। मवेशी जीवीए में 65 से 70 प्रतिशत योगदान डेयरी क्षेत्र का है। पिछले पांच वर्षों में देश में दूध उत्पादन की सालाना वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत (सीएजीआर) रही है। आठ करोड़ किसान सीधे तौर पर डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक महत्व को देखते हुए सरकार इसे उच्च प्राथमिकता देती है (मत्स्योद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय, 2021)। मवेशी क्षेत्र किसान परिवारों को आय का एक निश्चित स्रोत मुहैया कराता है। इन परिवारों की औसत मासिक आमदनी का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा मवेशी क्षेत्र से आता है। मवेशी क्षेत्र की सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) 2019–20 तक के पांच वर्षों में 8.15 प्रतिशत रही है (वित्त मंत्रालय, 2022)।

प्रधानमंत्री ने मवेशी क्षेत्र को बढ़ावा देने और डेयरी को ज़्यादा लाभकारी बनाने के मकसद से *आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज* के तहत 15000 करोड़ रुपये के *पशुपालन अवसंरचना विकास कोष* (एएचआईडीएफ) की घोषणा की है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य डेयरी, माँस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में निजी क्षेत्र और एमएसएमई से निवेश को प्रोत्साहन देना है जिससे 35 लाख रोज़गार पैदा हो सकते हैं[7]। केंद्र सरकार ने 2021–22 में 9800 करोड़ रुपये के विशेष मवेशी क्षेत्र पैकेज की घोषणा की। इसका मकसद इस क्षेत्र के लिए पांच वर्षों में 54,618 करोड़ रुपये का निवेश जुटाना है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने अपनी सभी योजनाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया है –

i). **विकास कार्यक्रम–** इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), राष्ट्रीय मवेशी मिशन (एनएलएम) तथा मवेशी गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी एंड आईएसएस) को उपयोजना के तौर पर रखा गया है।

ii). **रोग नियंत्रण कार्यक्रम–** इसका नया नाम मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। इसमें मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना तथा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।

iii). **अवसंरचना विकास कोष–** इसमें पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, डेयरी अवसंरचना विकास कोष तथा डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी गतिविधियों में लगे कृषक उत्पादक संगठनों की सहायता के लिए योजना को एकीकृत कर दिया गया है।

पुनर्निर्धारित एनपीडीडी योजना (घटक–1) के अंतर्गत लगभग 8900 थोक दूध प्रशीतक स्थापित किए गए हैं। इन प्रशीतकों का लाभ लगभग 26700 गाँवों और आठ लाख से ज़्यादा दूध उत्पादकों को मिलेगा।

2020 में प्रधानमंत्री के *आत्मनिर्भर भारत अभियान* के हिस्से के रूप में एएचआईडीएफ के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपये दूध प्रसंस्करण और उत्पाद संयंत्रों की सहायता के लिए रखे गए। इसका उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना, असंगठित ग्रामीण दूध उत्पादकों की पहुंच और प्रोटीन समृद्ध गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उद्यमिता विकास और निर्यात संवर्धन भी है। इस योजना का लाभ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), निजी कम्पनियां, व्यक्तिगत उद्यमी, खंड आठ के प्रतिष्ठान और एमएसएमई उठा सकते हैं। एएचआईडीएफ के अंतर्गत दूध प्रसंस्करण, पशु आहार और मांस प्रोसेसिंग के संयंत्र लगाए गए हैं जिनसे क्रमशः 2035, 4477 और 795 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए रोज़गार पैदा हुए (मत्स्योद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय, 2021)।

भारत का मछली उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। मछली के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 7.56 प्रतिशत है। मछली पालन क्षेत्र 1.45 करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करता है। इससे देश के 2.8 करोड़ मछुआरों को आजीविका मिलती है (मत्स्योद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय, 2021)। वर्ष 2019–20 में भारत से 46662.85 करोड़ रुपये की मछलियों का निर्यात किया गया। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए *प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना* (पीएमएमएसवाई), *मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष* (एफआईडीएफ), *किसान क्रेडिट कार्ड* (केसीसी) और *स्टार्टअप चेलेंज* जैसी कई योजनाएं चलायी गई हैं। इन योजनाओं से अवसंरचना समेत मूल्य श्रृंखला, आधुनिकीकरण, पता लगाने की क्षमता, उत्पादन, उत्पादकता, पश्च प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण को मज़बूती मिलती है।

गाँववासी अनंतकाल से मुर्गीपालन करते आए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पोल्ट्री क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उसमें आधुनिकीकरण, उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें *ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री विकास कार्यक्रम, नवोन्मेषी पोल्ट्री उत्पादकता कार्यक्रम* तथा *पोल्ट्री उद्यम पूंजी कोष* शामिल हैं (मत्स्योद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय, 2020)। *राष्ट्रीय मवेशी मिशन* और *राष्ट्रीय गोकुल मिशन* के तहत ब्रीडर फार्म उद्यमी और चारा उद्यमी के संघटक भी शामिल हैं। इनसे बेरोज़गार युवाओं और पशुपालकों के लिए

---

7 https://www.investindia.gov.in/sectorf/ood-processing/animal-husbandry

इससे सभी डिजिटल गाँवों में शत–प्रतिशत डिजिटल साक्षरता का अभियान पूरा हो रहा है।[8]

पीएमजीदिशा और सीएससी डिजिटल साक्षरता के माध्यम से रोज़गार सृजन और उद्योग प्रोत्साहन के ज़रिए तथा सरकार और नागरिकों के बीच दूरी मिटा कर आम आदमी के जीवन में बदलाव ला रहे हैं (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2021)। ग्रामीण शिल्पकारों के उत्पादों पर विशेष ज़ोर देते हुए स्वदेशी उत्पादों को डिजिटल तौर पर सूचीबद्ध किया जा रहा है। इससे ग्रामीण समुदायों में उद्यमिता की भावना को

आजीविका के अवसर पैदा होते हैं (मत्स्योद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय, 2021)।

डिजिटल समावेशनः ग्रामीण आबादी का सशक्तीकरण और औद्योगीकरण

परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2015 में *डिजिटल इंडिया अभियान* शुरू किया। इसका उद्देश्य देश में उन्नत ऑनलाइन अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना था (पीआईबी, 2020)। प्रौद्योगिकी आधारित सफल कार्यक्रमों में *मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, ई–नाम, ई–वीसा, एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड और डिजिटल भुगतान* शामिल हैं। गाँव के स्तर पर डिजिटल समावेशन से ग्रामीण समुदायों के जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए सरकार ने 2017 से *प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान* (पीएमजीदिशा) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश भर में छह करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी है। गाँवों में संचालित सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का निर्माण भी करते हैं। इस तरह, कनेक्टिविटी से ये गाँव *डिजिटल ग्राम* में तब्दील हो रहे हैं। ढाई लाख सीएससी के ज़रिए इंटरनेट दूरदराज के इलाकों तक पहुंच चुका है।

प्रोत्साहन मिला है (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2019)।

निष्कर्ष

ग्रामीण औद्योगीकरण विकास के अनेक लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोज़गार सृजन और गरीबी उन्मूलन में इसकी भूमिका अहम है। श्रम को कृषि से उद्योगों की ओर ले जाकर यह ढाँचागत परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेज़ी लाकर ग्रामीण औद्योगीकरण की रफ्तार में वृद्धि की जा सकती है। कौशल विकास, वित्तीय सहायता के साथ स्टार्टअप्स, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और नई प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) – जुलाई 2019 से जून 2020 के अनुसार रोज़गार विस्तार में शहरी क्षेत्र (1.30 करोड़) की तुलना में गाँवों (3.45 करोड़) का योगदान काफी ज़्यादा रहा। इसलिए गाँवों में परिवर्तन को मिशन के तौर पर लेकर ग्रामीण समुदायों में संपन्नता लायी जा सकती है।

(नीलम पटेल नीति आयोग में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र वर्टिकल में सीनियर एडवाइज़र हैं; तनु सेठी सीनियर एसोसिएट और ए.जी.ए. कार्यप्पा यंग प्रोफेशनल हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों की निजी राय हैं।)

ई–मेलः **neelam.patel@gov.in, tanusethi@gov.in a.cariappa@nic.in**

8 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRIäz1731857

ग्रामीण उद्योगों का बदलता स्वरूप

–पीयूष प्रकाश, हर्षित मिश्रा

भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाओं से ही नीति निर्माताओं ने हमेशा ग्रामीण औद्योगीकरण को योजना के केंद्र में रखा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण उद्योगों के संरक्षण की बजाय उनका विकास और संवर्धन बन गई है। ग्रामीण उद्यमशीलता क्षमता के निर्माण और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता पर अधिक ध्यान देना मुख्य आधार बना रहा। पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और भारत में स्टार्टअप संस्कृति के तेज़ी से बढ़ने के साथ नए युग के प्रौद्योगिकी के जानकार ग्रामीण उद्यमियों ने कई कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और डिजिटल सेवा अर्थव्यवस्था पहल के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया है। यह लेख इन परिवर्तनों के विकास, नीतिगत वातावरण और इन गतिविधियों के साथ शिक्षा क्षेत्र के लिए निहितार्थों की पड़ताल करता है।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहे हैं – ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के साथ–साथ राष्ट्रीय विकास में भी इनका योगदान है। 1950 के दशक में कृषि ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया और 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय कार्यबल को रोज़गार दिया। धीरे–धीरे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में गिरावट शुरू हो गई और 2019–20 में यह 18.4 प्रतिशत पर पहुंच गया।[1] रोज़गार प्राप्त श्रमबल का प्रतिशत भी गिर गया लेकिन इसमें गिरावट उतनी तेज़ नहीं थी जितनी जीडीपी में योगदान के लिए थी– 2019–20 में भारत में श्रमबल का 46.5 प्रतिशत कृषि में कार्यरत था[2]।

रुझान और रोज़गार से पता चलता है कि पर्याप्त श्रमबल की भागीदारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। अल्प रोज़गार, प्रच्छन्न बेरोज़गारी और मौसमी रोज़गार की चुनौतियां कृषि क्षेत्र में अन्य मुद्दों जैसे कि सतत निवेश की कमी, आसान ऋण उपलब्धता, जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं, बाज़ार पहुंच आदि के साथ श्रमबल के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। जहां ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना अपेक्षित है तो दूसरी ओर, सरकार द्वारा अधिक केंद्रित नीतिगत प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

क) ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र और डिजिटल सेवा अर्थव्यवस्था में नौकरियों को बढ़ावा देना और

ख) ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना।

इस लेख में हम ग्रामीण उद्योगों के विकास, राष्ट्रीय विकास और रोज़गार में उनके योगदान, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में अभिनव क्रांतियां जैसे ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृषि स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नवाचार और ऐसी प्रौद्योगिक प्रगति को बनाए रखने के लिए कौशल प्रदान करने में उनकी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं।

उद्योगीकरण का इतिहास

स्वतंत्रता के बाद से ही नीति निर्माताओं के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय आय के समान वितरण की क्षमता वाले छोटे उद्योगों को पारम्परिक और श्रम प्रधान कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के एक साधन के रूप में माना जाता था[3]। इस झुकाव को औद्योगिक नीति संकल्प 1948 से ही देखा जा सकता है। इसके अनुसार *'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका*

1 भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22

2 आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2019–20

3 Reddy CS, Reddy PM, Reddy SR. Indian Small Scale Industry: The Changing Perception. SEDME (Small Enterprises Development, Management & Extension Journal). 1997;24(3):19-24. doi:10.1177/0970846419970303

चित्र 1: सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार में कृषि क्षेत्र का योगदान[4]

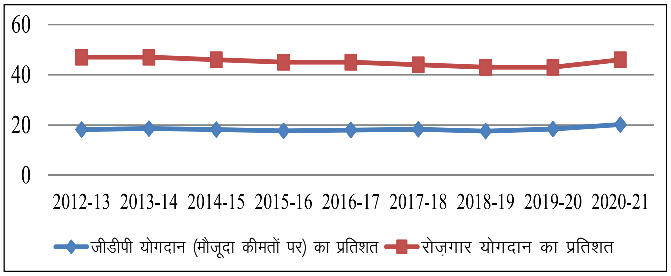

है। वे व्यक्तिगत, ग्रामीण या सहकारी उद्यम के लिए संभावनाओं की पेशकश करते हैं और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के साधन हैं। ये उद्योग खासतौर पर स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और कुछ प्रकार की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़ा और कृषि उपकरणों में स्थानीय आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उपयुक्त हैं"। यह भी माना गया कि ये उद्योग पूंजी, कुशल श्रमबल, कच्चे माल और विपणन के मुद्दों का सामना करते हैं। दुकानों के कुछ वर्गों को विशेष रूप से गांव और छोटे उद्योगों से खरीद के लिए चिन्हित किया गया था और बड़े उद्योगों के उत्पादों के मुकाबले कीमतों में अंतर की अनुमति दी गई थी। पहली योजना अवधि के दौरान हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग के लिए कई एम्पोरियम और बिक्री डिपो स्थापित किए गए। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों से की गई खरीद का मूल्य 1952–53 में 66 लाख रुपये से बढ़ कर 1954–55 में 105 लाख रुपये हो गया। लिहाज़ा नीति ने ऐसे उद्योगों के बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सहयोगात्मक भूमिका पर ज़ोर दिया।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है। संसद ने 1954 में एक प्रस्ताव के माध्यम से समाज के समाजवादी पैटर्न को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति घोषित किया था। भारत के तत्कालीन योजना आयोग ने 'ग्राम और लघु उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) समिति की रिपोर्ट' प्रस्तुत की जिसे 1955 में आमतौर से कार्वे (Karve) समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था। रिपोर्ट में आर्थिक गतिविधियों के अत्यधिक केंद्रीकरण और लघु उद्योगों के संरक्षण से उनके विकास की ओर बढ़ने से संबंधित चुनौतियों को पहचाना गया था। आईपीआर 1956 में इसकी सिफारिशें परिलक्षित हुई। इसमें कहा गया था कि *जब भी इस तरह के उपाय* (बड़े उद्योगों में उत्पादन की मात्रा को सीमित करके, अंतर कराधान द्वारा, या प्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा छोटे उद्योगों का संरक्षण) जारी रहेंगे, *तब ज़रूरत पड़ने पर राज्य की नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र स्वावलंबी होने के लिए पर्याप्त मज़बूती प्राप्त करें और इसका विकास बड़े उद्योगों के साथ एकीकृत हो। इसलिए राज्य छोटे पैमाने के उत्पादकों की प्रतिस्पर्धी ताकत में सुधार के लिए तैयार किए गए उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा[5]।* करीब 128 वस्तुओं को छोटे उद्योग क्षेत्रों में विशेष उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया था। इसने यह भी माना कि तकनीकी और वित्तीय सहायता की कमी और उपयुक्त कार्यस्थल तथा मरम्मत और रखरखाव के लिए सुविधाओं की अपर्याप्तता छोटे उत्पादकों के सामने आने वाली गंभीर बाधाओं में शामिल हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार, कम कीमतों पर बिजली, औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन, तकनीकी बेरोज़गारी को रोकने के साथ–साथ उत्पादन के तरीकों में तकनीकी उन्नति कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र थे। इस प्रकार 'संरक्षण से विकास की ओर' पारगमन देखा जा सकता है।

अगले दो दशक ग्रामीण और लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने पर केंद्रित थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौशल में सुधार, तकनीकी सलाह की आपूर्ति, बेहतर उपकरण और ऋण एवं सब्सिडी, बिक्री छूट और सुरक्षित बाज़ारों की भूमिका को उत्तरोत्तर कम करने जैसे सकारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चौथी योजना छोटे उद्योगों के विकेंद्रीकरण और विस्तार के लिए प्रोत्साहन और निरुत्साहन का एक संयोजन प्रदान करने पर केंद्रित थी। इसने राज्य सहकारी बैंकों को कॉयर, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प, चमड़ा शोधन और चमड़ा उतारने, चमड़े के सामान, धान और अनाज की हाथ से कुटाई, तेल की पेराई और सामान्य इंजीनियरिंग सहित छोटे उद्योगों के 22 विस्तृत समूहों के वित्तपोषण के लिए ऋण देने की अनुमति दी। हालांकि, ये सभी पहल वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं। पिछले आईपीआर के दो दशक बाद 1977 का नया आईपीआर लागू किया गया था। इसने माना कि *'औद्योगिक नीति में अब तक मुख्य रूप से बड़े उद्योगों पर ज़ोर दिया गया है, कुटीर उद्योगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया हुआ है और छोटे उद्योग गौण भूमिका में हैं। नई औद्योगिक नीति का मुख्य ज़ोर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर और लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने पर होगा। सरकार की नीति है कि छोटे और कुटीर उद्योगों द्वारा जो कुछ भी उत्पादित किया जा सकता है, उसका उतना उत्पादन अवश्य किया जाना चाहिए'।* नतीजतन, लघु उद्योगों के लिए चिन्हित मदों की संख्या 504 तक बढ़ा दी गई थी। ज़िला उद्योग केंद्र (डीआईसी) की स्थापना एक ही छत के नीचे छोटे और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा आवश्यक सभी सेवाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। आईपीआर 1977 ने छोटे उद्योग क्षेत्र को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

i) कुटीर और घरेलू उद्योग जो बड़े पैमाने पर स्वरोज़गार प्रदान करते हैं।

---

4 भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण और विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर

5 https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/2nd/2planch20.html

ii) बहुत छोटा क्षेत्र जिसकी औद्योगिक इकाइयों की प्लांट और मशीनरी में एक लाख रुपये तक निवेश होता है और जो 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में स्थित हैं।

iii) लघु उद्योग जिसकी औद्योगिक इकाइयों में 10 लाख रुपये और सहायक इकाइयों में 15 लाख रुपये तक का निवेश होता है।

उसके बाद 1980 और 1990 के आईपीआर ने लघु उद्योगों के विकास में सहायता के लिए इन निवेश सीमाओं में वृद्धि की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 1990 में लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीज़ेड) में स्थापित 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के मामले में लाइसेंस समाप्त करने की शुरुआत की गई थी। आईपीआर का ध्यान छोटे उद्योगों को अत्यावश्यक सुरक्षा प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने की ओर उन्मुख हुआ।

लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज, 2000 और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति पैकेज, 2001–02 ने निवेश सीमा में वृद्धि, ऋण प्रवाह में सहायता और लघु उद्योगों के लिए विपणन प्रयासों को जारी रखा। हालाँकि उल्लेखनीय बदलाव 2006 का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम रहा है। एमएसएमई को 'विकास का इंजन' कहा गया। देश में 324.88 (51 प्रतिशत) अनिगमित गैर–कृषि एमएसएमई ग्रामीण भारत में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं[6] जिसका क्षेत्रवार ब्यौरा चित्र–2 में देखा जा सकता है।

चित्र–2 ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई
एमएसएमई में ग्रामीण रोज़गार

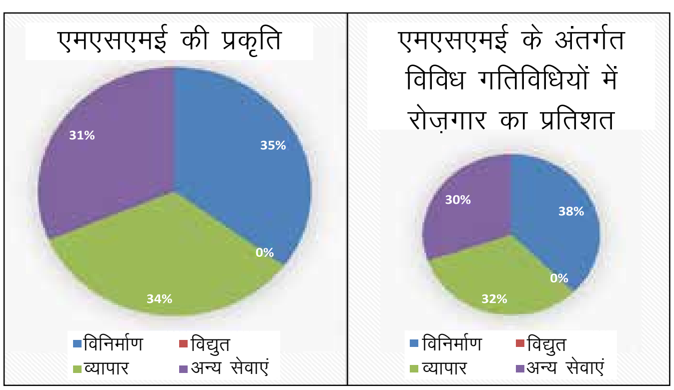

अधिकांश एमएसएमई सूक्ष्म इकाइयाँ हैं जिनके बाद लघु और मध्यम उद्यम हैं जिनका एमएसएमई की कुल संख्या में हिस्सा चित्र–3 में दर्शाया गया है।

6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 73वां दौर

चित्र–3: एमएसएमई इकाइयों की संख्या

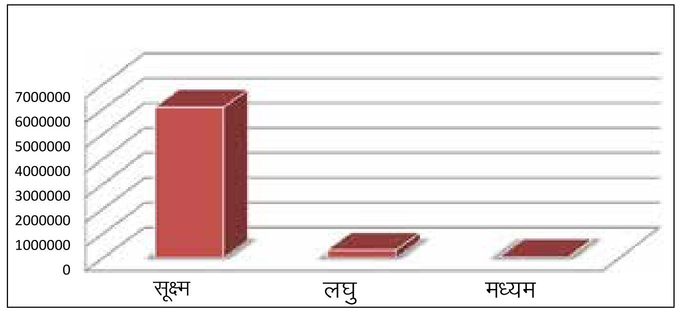

सरकार ग्रामीण उद्योगों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही हैः

- **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)–** यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और ज़िला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। स्थापना से लेकर जनवरी 2016 तक 7004.40 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी का उपयोग करके 3.50 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं और इन इकाइयों से 29.82 लाख रोज़गार सृजित हुए हैं।
- **पारम्परिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति)** पारम्परिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करके पारम्परिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005–06 में यह योजना शुरू की गई थी। 26 कलस्टरों को 72 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ अंतिम मंज़ूरी दी गई है जिससे लगभग 25,000 कारीगर लाभान्वित होंगे।
- **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एएसपीआईआरई):** ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इन्क्यूबेटर (एलबीआई), टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर (टीबीआई) और कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप निर्माण के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 18 मार्च, 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। ।
- **स्टैंडअप इंडिया योजनाः** यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा गैर–कृषि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के समग्र ऋण प्रदान करने के लिए है।

हालांकि इन योजनाओं ने देश में सूक्ष्म उद्यमियों के विकास में बहुत योगदान दिया है पर हाल ही में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असीम प्रगति और स्टार्टअप क्रांति ने अभिनव कृषि प्रौद्योगिकी व्यवसायों और डिजिटल सेवा अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमशीलता उपक्रमों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है।

सीआईएफ* की विशेषताएं

जानकारी
टूलकिट, कार्यशालाओं और एक डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एसडीजी और उद्यमिता पर क्यूरेट की गई सामग्री

मेंटरशिप
व्यावसायिक कौशल और क्षेत्र विशेषज्ञता के सृजन के लिए मेंटरशिप

समुदाय में समावेश
कार्यस्थल में स्थानीय 'मित्र', सामुदायिक विस्तार में सहायता और समाधान सत्यापन

अवसंरचना
आयोजक एसीआईसी के सभी बुनियादी ढांचे तक पहुँच की सुविधा

वित्तपोषण
उपलब्धि आधारित वित्तपोषण (प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये तक) और उद्यम आरम्भ करने के अवसर

समावेशन
समान पहुँच नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं

*कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप

स्टार्टअप क्रांति और असीम तकनीकी प्रगति

नवोदित उद्यमियों और तकनीक की समझ रखने वाले किसानों और नए युग के किसान संगठनों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से कृषि के प्रासंगिक मुद्दों जैसे कि ऋण उपलब्धता, लाभदायक कीमतों की प्राप्ति, भंडारण सुविधा, विपणन चुनौतियों और अग्रानुबंधन(फॉरवर्ड लिंकेजेस) को व्यावसायिक समस्याओं के रूप में लिया गया है। ऐसे कृषि स्टार्टअप हैं जो कृषि की मूल्य श्रृंखला में सक्रिय (स्मार्ट) समाधान प्रदान करते हैं–कृषि मशीनरी, बीज और उर्वरक के लिए ऑनलाइन बाज़ार से लेकर सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए सलाहकार प्लेटफार्म, स्मार्ट पानी और बिजली दक्षता समाधान से लेकर उपज के लिए भंडारण और बाज़ार उपलब्धता आदि। कारीगरी के काम के लिए इसी तरह के स्टार्टअप सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश नवाचार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए *डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी* (जनधन–आधार–मोबाइल) के स्तंभों पर आधारित हैं।

नीति आयोग ने निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इनक्यूबेशन केंद्रों का विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। *अटल नवाचार मिशन* (इनोवेशन) के तहत देश भर में उच्च विकास और रोज़गार पैदा करने वाले स्टार्टअप को पोषित करने के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) स्थापित किए गए हैं। एसीआईसी की परिकल्पना स्टार्टअप और नवाचार परितंत्र (इनोवेशन इकोसिस्टम) के संदर्भ में देश के उपेक्षित/अछूते क्षेत्रों के हित में कार्य करने के लिए की गई है। एसीआईसी ने पिरामिड के निचले हिस्से में नवप्रवर्तकों तक पहुंचने और उन्हें समान अवसर देने को महत्वपूर्ण माना, विशेष रूप से प्रयोगशाला से खेतों की दूरी को कम करके और योजनाओं/समाधानों के प्री–इन्क्यूबेशन के लिए जगह बनाकर।

भारतीय समुदायों में रची–बसी 'मितव्यभिता' की भावना को सराहते हुए एसीआईसी का उद्देश्य इन नवाचारों को तलाशना और उन्हें बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दृष्टिकोण तैयार करना है जो समाधान–केन्द्रित डिज़ाइन सोच पर आधारित हो और जिसे सार्वजनिक– निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का सहयोग प्राप्त हो। एसीआईसी तृणमूल स्तर के नवाचार को बढ़ावा देता है जो उन उत्पादों और सेवाओं से संबंधित है जो पिरामिड के सबसे नीचे के भाग के लोगों, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्गों और सामाजिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों से हैं, के सृजित नवाचारों से उत्पन्न होते हैं[7]।

एसीआईसी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी),भारत के सहयोग से एक कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) कार्यक्रम भी चलाता है। इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा में आवश्यक बुनियादी ढांचा और ज्ञान प्रदान करना है।

डिजिटल सेवा अर्थव्यवस्था

एक अन्य क्रांति जो ग्रामीण रोज़गार परिदृश्य को बदल रही है, वह है–ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी/आईटीईएस उद्योग की पैठ। *डिजिटल इंडिया* कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने *भारत बीपीओ संवर्धन स्कीम* (आईबीपीएस) को दोहरे उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया: ए) बीपीओ/आईटीईएस संचालन के माध्यम से रोज़गार सृजन और बी) देशभर में आईटी–आईटीईएस क्षेत्र का संतुलित क्षेत्रीय विकास। इस योजना के तहत ने देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन के लिए (पूर्वोत्तर को छोड़कर) 48,300 सीटों की सफल स्थापना की गई और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बीपीओ/आईटीईएस संचालन के लिए 5,000 सीटों की स्थापना उत्तर–पूर्व बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) के ज़रिए की गई।

यह योजना सरकार द्वारा प्रदान की जा रही व्यवहार्यता अंतर निधि के साथ एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। यह योजना अनुमेय मदों पर किए गए व्यय [पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) और/या परिचालन व्यय (ओपीईएक्स)] के 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी ऊपरी सीमा एक लाख रुपये प्रति बीपीओ/आईटीईएस सीट के साथ 50 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार देने के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रोत्साहन और 75 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार देने के लिए 7.5 प्रतिशत प्रोत्साहन शामिल है।

केस स्टडी: एसीआईसी, देवरिया, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में देवरिया में स्थित नीति आयोग द्वारा सहायता प्राप्त एसीआईसी–जागृति उद्यमिता फाउंडेशन का उद्देश्य तीन ज़िलों– देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर में उद्यमिता का पोषण करना है। महानगरों के विपरीत, टियर–3/4 शहरों में 'उद्यमिता' अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है और इसलिए उद्यमियों को जुटाने के लिए एसीआईसी जागृति टीम विविध आउटरीच अवधारणाओं जैसे आइडियाथॉन, फील्ड ऑफिस सेटअप को काम में लाती है और डीआईसी, एनआरएलएम, ओडीओपी, और केवीआईसी आदि जैसे सरकारी विभागों के साथ मिल कर काम करती है।

इनक्यूबेटीज़ बुनियादी और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ केंद्र से मेंटरशिप, मार्केट कनेक्शन और फंडिंग की अनूठी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। फाउंडेशन 1000 से अधिक गाँवों में सैनिटरी पैड वितरण में काम कर रहे 'नई रोशनी' जैसे उद्यमों की सहायता कर रहा है और 100 से अधिक महिला मित्रों के लिए प्रति माह तीन हजार रुपये की आय अर्जित कर रहा है। कुछ अन्य इनक्यूबेटी एकीकृत खेती, मूंज, मैक्रमे (झालर) उत्पादों पर काम कर रहे हैं, 70 से अधिक किसानों के समूह के साथ लेमन ग्रास का उत्पादन कर रहे हैं, शहद और प्रसंस्कृत मशरूम उत्पादों तथा जेली, जैम, बेकरी, अचार, और पाउडर आदि का उत्पादन कर रहे हैं। एसीआईसी जागृति ने सरकारी स्कूलों के सहयोग से कई आइडियाथॉन का आयोजन किया है ताकि स्कूल से ही नवाचारी समाधानों (इनोवेटिव सॉल्यूशंस) को क्राउड सोर्स किया जा सके और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

फाउंडेशन ने एक त्रि–स्तरीय अवधारणा विकसित की है जो किसानों, निर्माताओं और विक्रेताओं को एक साथ लाती है ताकि उद्यमिता का एक 'इकोसिस्टम' तैयार किया जा सके। एसीआईसी–जागृति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशुतोष कुमार मिश्रा कहते हैं, 'इन उद्यमों के लिए यह एक विकास यात्रा होगी और एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों) को पूरा करने के लिए दूरस्थ स्थानों में एसीआईसी जागृति जैसी संस्थाओं का होना अत्यावश्यक है।'

ई–कॉमर्स के विस्तार के साथ डिजिटल मार्केटिंग, डिलीवरी सेवाओं, वेयरहाउसिंग सेवाओं और बाज़ार तक पहुंच ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपार अवसर खोले हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के लाभों को पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है बशर्ते भविष्य में हमारे पास डिजिटल रूप से कुशल और तकनीक की समझ रखने वाले ग्राहक और सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमी हों।

शिक्षा क्षेत्र के लिए निहितार्थ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने बच्चों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया है। इसलिए भारत सरकार ने 2026–27 तक बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने के लिए मिशन मोड में *'निपुण भारत'* योजना शुरू की है। एनईपी 2020 ने स्कूल स्तर और विश्वविद्यालय स्तर दोनों पर डिजिटल कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने पर समान ज़ोर दिया है और इन गतिविधियों को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना है। हालांकि वास्तविक कार्यान्वयन *निपुण भारत मिशन* जितना तेज़ नहीं है। उद्यमिता पर उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने, कक्षा 6 के बाद से स्कूल स्तर पर कौशल विकास के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाने और सभी स्कूलों में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को सार्वभौमिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

नीति आयोग की *अटल टिंकरिंग लैब*(एटीएल) ने उद्यमिता पर स्कूली छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम और एक पुस्तिका तैयार की है। छात्रों ने एटीएल में हासिल डिज़ाइन थिंकिंग पर प्रशिक्षण का उपयोग उत्पाद सुझावों के सृजन में किया है जिन्हें अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की सहायता से आगे बढ़ाया गया था। पाठ्यक्रम और पुस्तिकाओं को सार्वजनिक वस्तु के रूप में तैयार किया गया है जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग द्वारा अपने संदर्भों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। नीति आयोग भी इस संबंध में इच्छुक राज्यों को सहायता प्रदान करता रहा है।

ग्रामीण भारत के विद्यार्थी अपने समुदायों में, देश में और विश्व–स्तर पर व्यापक परिवर्तन केवल सही कौशल और मानसिकता के माध्यम से ही ला सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसे प्रशिक्षणों की सुविधा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में अवश्य प्रदान करनी चाहिए।

निष्कर्ष

देश के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख योगदान रहा है। कृषि जैसे क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। हालांकि पिछले दशक में अर्थव्यवस्था में इसका योगदान स्थिर हो गया है जबकि यह अभी भी हमारे श्रमबल के करीब 50 प्रतिशत को रोज़गार देता है जिनमें से ज़्यादातर अल्प रोज़गार वाले हैं। गैर–कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं बशर्ते हम उद्यमियों को इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने में सुविधा प्रदान करें। भारत सरकार ने हमारे युवाओं में उद्यमशीलता की क्षमता का पोषण किया है जिसका परिणाम अब ग्रामीण क्षेत्रों सहित कई यूनिकॉर्न (1 अरब डॉलर के पार वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप) के रूप में सामने आया है। यह सही समय है कि हम उद्यमिता और तकनीकी क्रांतियों की संस्कृति को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके संस्थागत रूप दें और उसे समाज के अंतिम छोर के छात्रों तक पहुंचाएं और उन्हें सफलता की उड़ान भरने में सहायता करें।

(पीयूष प्रकाश नीति आयोग में सीनियर एसोसिएट हैं और हर्षित मिश्रा डिप्टी एडवाइज़र हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेलः piyush.prakash90@gov.in

Dr. Vishwanath Karad
MIT WORLD PEACE UNIVERSITY | PUNE
TECHNOLOGY, RESEARCH, SOCIAL INNOVATION & PARTNERSHIPS
MIT-WPU
॥ विश्वशान्तिर्ध्रुवं ध्रुवा ॥

WORLD'S FIRST UNIVERSITY FOR **LIFE TRANSFORMATION**

MAKE A **PROMISE** TO **CHANGE**

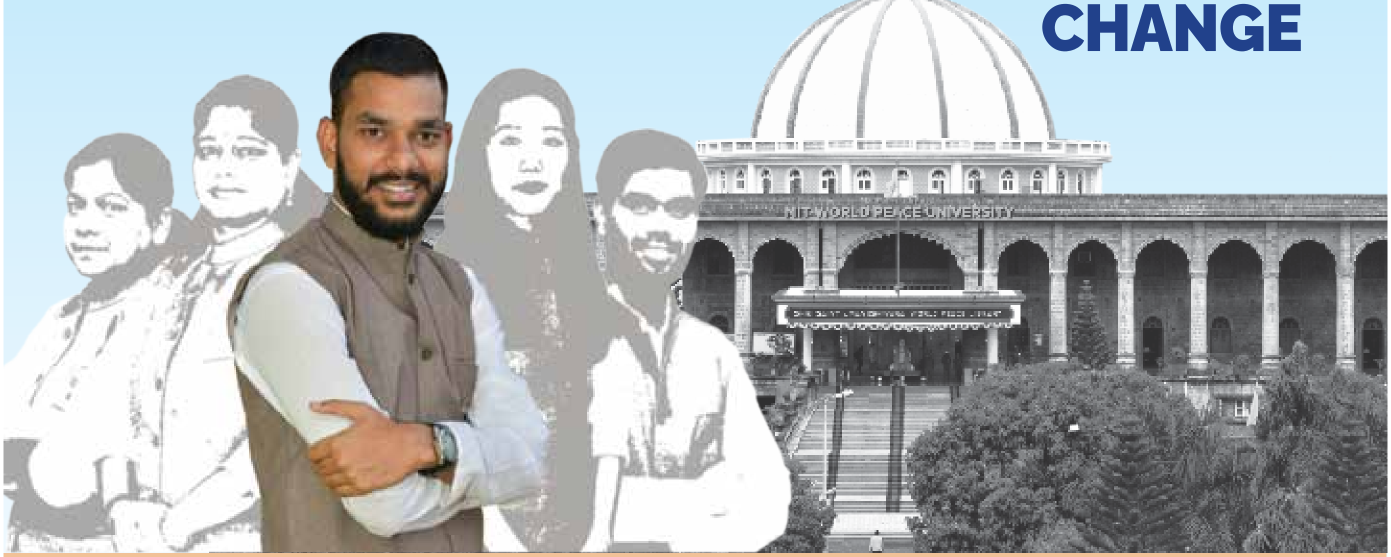

650+ Industry Partnerships

Internship Assistance

₹ **37.26** CTC Highest Salary Package offered

100,000+ Alumni Globally

ADMISSIONS OPEN - 2022

MERIT -BASED SCHOLARSHIPS WORTH Rs. 30+ Cr

Master's degree program in Political Leadership & Government (MPG)

2 Years | **4** Semesters

- Interactive sessions with national-level leaders from Politics, Bureaucracy, Judiciary, Media, Corporate and Social / Development organizations
- National Study Tour to Delhi
- Internships for up to 10 months with offices of Political Leaders & Political parties

Eligibility: Graduate from any stream OR Equivalent with a minimum 50 % marks (agg)

BA Hons (Public Administration) (BPA)

4 Years* | **8** Semesters (*as per New Education Policy)

- Specialization in Business administration or Civil service preparation
- A bridge between public and private administration
- Combines subjects of management with expertise on Governance
- Personality Traits, Management skills and participatory learning administration

Eligibility: HSC (10+2) from any stream OR Equivalent with a minimum 50 % marks

BA Hons (Government & Administration) (BAGA)

4 Years* | **8** Semesters (*as per New Education Policy)

- Improve readiness for UPSC Civil Services (IAS) Examination
- Mentoring by Civil Servants & UPSC toppers.
- Interdisciplinary study with a range of subject areas

Eligibility: HSC (10+2) from any stream OR Equivalent with a minimum 50 % marks

Post Graduate Program in Public Policy (PGPPP)

11 months | **3** Semesters

- KPMG as a knowledge partner
- Thrust on research
- Lectures by eminent academicians and practitioners
- Online course with flexible timings

Eligibility: Graduate / appearing final year from any stream OR Equivalent with a minimum 50 % marks (agg)

APPLY ONLINE

admissions.mitwpu.edu.in | admissions@mitwpu.edu.in | 020 - 7117 7137 | 98814 92848

ग्रामीण उद्योग, उद्यमिता और अवसंरचना

–डॉ इशिता जी. त्रिपाठी

केंद्र सरकार ने हाल ही में औद्योगीकरण के क्षेत्र में अनेक घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं मुख्य तौर पर उद्यमिता विकास, सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए मददगार परिवेश के निर्माण, रोज़गार सृजन और निर्यात संवर्धन से संबंधित हैं। ये समन्वित और केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं ताकि देश के औद्योगीकरण अभियान की प्रभावशीलता और मज़बूत हो सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून, 2022 को 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह खासतौर से वैश्विक महामारी के बाद के समय में आर्थिक प्रगति को उद्यमिता विकास, सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए मददगार परिवेश के निर्माण, रोज़गार सृजन और निर्यात संवर्धन से संबंधित औद्योगीकरण अभियान के ज़रिए हासिल किया जा सकता है।[1] सरकार ने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए अन्य प्रयासों के अलावा उद्यमिता, मददगार परिवेश, रोज़गार और निर्यात पर बल दिया है। इस संबंध में की गई घोषणाएं भारत में औद्योगीकरण को मज़बूत करने के लिए समन्वित और केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

उद्योग और उद्यमिता

भारत की दो–तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार एमएसएमई ही मुहैया कराते हैं। सरकार के एक सर्वेक्षण की 2017 में जारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11.13 करोड़ भारतीय गैर–कृषि और अनिगमित उद्यमों में लगे हैं। इनमें से 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।[2] लिहाज़ा, ग्रामीण औद्योगीकरण के विस्तार और रोज़गार सृजन के अलावा गाँवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए भी उद्यमिता विकास महत्वपूर्ण है।

1 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 30.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1838174

2 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 29.06.2017 https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=166982

वैश्विक महामारी के दौरान छोटे उद्यमों को अपेक्षाकृत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में अनेक घोषणाएं की गई हैं। इनमें एमएसएमई की परिभाषा की समीक्षा, नई योजनाओं की शुरुआत और मौजूदा में सुधार तथा उद्यमिता विकास से संबंधित घोषणाएं शामिल हैं। ऋण, बाज़ार और शिकायत निवारण व्यवस्था तक पहुँच बढ़ाने, खरीद और विपणन को मज़बूत करने, छोटे उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने, कौशल और प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने से संबंधित घोषणाएं भी इनमें शामिल हैं।

बड़ी संख्या में उद्यमों को एमएसएमई के दायरे में लाने के लिए 2020 में मैनुफैक्चरिंग और सेवाओं की परिभाषा में भेद को खत्म किया गया। एमएसएमई की परिभाषा के दायरे में आने वाले उद्यमों के लिए निवेश सीमा को भी कई गुना बढ़ा दिया गया।[3] नई परिभाषा में उद्यमों के कुल राजस्व को भी शामिल किया गया है। एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण को हासिल करने के योग्य हो जाते हैं। सूक्ष्म और छोटे उद्यमों (एमएसई) को उनके लिए जारी सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 का लाभ भी मिलता है। इस आदेश को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय, विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अपनी सालाना खरीद का 25 प्रतिशत हिस्सा एमएसई से खरीदेंगे।

ऋण और बाज़ार तक पहुंच, सांस्थानिक शासन के सुदृढ़ीकरण और नवोन्मेष संवर्धन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। *आपातकालीन ऋण गारंटी योजना* (ईसीएलजीएस) को 2020 में शुरू किया गया। इस योजना की राशि को बढ़ा कर 5,00,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों को मज़बूत करने और उनके विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए *रेज़िंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस* (रैंप) कार्यक्रम शुरू किया गया

समावेशी विकास के प्रयासों को मज़बूत करने के लिए जून, 2022 में *गोइंग ऑनलाइन ऐज़ लीडर* (गोल) 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख आदिवासी युवाओं का डिजिटल कौशल उन्नयन किया जाएगा। इससे आदिवासी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उनके लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

है। निर्यात का काम शुरू करने वालों के लिए *क्षमता निर्माण योजना* (सीबीएफटीई) का भी मकसद एमएसएमई को बढ़ावा देना है। रैंप का उद्देश्य ऋण और बाज़ार तक पहुँच बढ़ाना, केंद्र और राज्यों के स्तर पर संस्थाओं को मज़बूत करना और एमएसई को देरी से भुगतान की समस्या का निराकरण है।[4] सीबीएफटीई निर्यात शुरू करने जा रही एमएसएमई को वित्तीय सहायता हासिल करने और प्रमाणन में मदद करती है। समावेशी विकास के प्रयासों को मज़बूत करने के लिए जून, 2022 में *गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर* (गोल) 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख आदिवासी युवाओं का डिजिटल कौशल उन्नयन किया जाएगा। इससे आदिवासी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उनके लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे।[5] इसके अलावा, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धिता को बढ़ाने के मकसद से पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई प्रोत्साहन योजना समेत कुछ योजनाओं के लिए नए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।[6]

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को ज़्यादा समावेशी बनाया गया है। पीएमईजीपी के उद्देश्यों में ग्रामीण और बेरोज़गार युवाओं के लिए संवहनीय और सतत रोज़गार के अवसर पैदा करने के अलावा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की सहायता करना भी शामिल है। इस तरह इससे रोज़गार के लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। भारत ने उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कई देशों के साथ करार किए हैं जिनका लाभ देश के उद्यमियों को मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात[7] और सिंगापुर[8] के साथ करारों तथा भारत–स्वीडन पारगमन वार्ता[9] से भी भारतीय उद्यमी लाभान्वित होंगे।

औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक महामारी से उबरते हुए फिर से विकास कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मार्च, 2021 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल, 2022 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आठ बुनियादी उद्योगों के सूचकांक में भी मई, 2021 की तुलना में मई, 2022 में वृद्धि 18 प्रतिशत रही है।[10] सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 से एमएसई को काफी फायदा हुआ है। सरकार ने 25 प्रतिशत के लक्ष्य से भी आगे बढ़ते हुए 2021–22 में उनसे 36.23 प्रतिशत (50,460 करोड़ रुपये) की खरीद की। इसका सकारात्मक प्रभाव 2,12,775 एमएसई पर पड़ा।[11] इसके अलावा, ईसीएलजीएस ने भी एमएसएमई समेत बड़ी संख्या में व्यवसायियों को लाभ पहुंचाया और लगभग 1.5 करोड़ रोज़गार बचाए।[12]

---

3 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 03.06.2020 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628925
4 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 30.03.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1811360
5 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 28.06.2020 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1837659
6 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 02.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1830484
7 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 08.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832176
8 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 08.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1837902
9 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 29.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1830145
10 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 30.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1838260
11 संबंध पोर्टल https://sambandh.msme.gov.in/PPP_Index.aspx
12 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 30.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1838217

अवसंरचना

उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना तथा भौतिक और डिजिटल अवसंरचना पर ज़ोर अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को गति देने की दिशा में ठोस कदम साबित हुए हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का विकास एक–दूसरे को मज़बूती देता है। इन दोनों क्षेत्रों के विकास से बिजली और ईंधन की खपत में इज़ाफा हुआ है। एक कुशल अवसंरचना तंत्र ज़रूरी कनेक्टिविटी तथा कच्चे माल, बाज़ारों और उद्यमिता के अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है। लिहाज़ा, खासतौर पर औद्योगिक केंद्रों में उद्योगों के विकास और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के बीच तालमेल की ज़रूरत है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय में 2014 और 2021 के बीच पाँच गुना वृद्धि हुई है। प्रतिदिन सड़क निर्माण का औसत भी 2019–20 में 28 किलोमीटर से बढ़ कर 2020–21 में 36.5 किलोमीटर हो गया। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में ढांचागत सुधार भी उल्लेखनीय है।[13]

हाल ही में राजकोट में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण[14] तथा रेल, सड़क, मेट्रो, अंडरपास और फ्लाईओवर के ज़रिए बेंगलूर जैसे शहरों में भीड़भाड़ घटाने के लिए घोषणाएं की गई हैं।[15] इस तरह की परियोजनाएं लॉजिस्टिक्स के समय और खर्च में कटौती कर विकसित हो रहे और उदीयमान औद्योगिक केंद्रों की खास समस्याओं का समाधान करती हैं। इन पहलकदमियों से 2022–23 के संघीय बजट में घोषित *पीएम गति शक्ति* को भी बल मिलता है। *पीएम गति शक्ति* में जिन सात साधनों पर ज़ोर दिया गया है, वे हैं – सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। इन्हें बिजली ट्रांसमिशन, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, पेयजल और सीवरेज व्यवस्था, सामाजिक अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा तथा केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही निजी क्षेत्र के प्रयासों से बल मिलेगा। पीएम गति शक्ति में शामिल क्षेत्र व्यापक हैं और इनसे उद्यमिता के अवसर उपलब्ध होंगे।[16]

इन सभी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 2021–22 में 8.7 प्रतिशत हो गई। यह वैश्विक महामारी से पहले 2019–20 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर से 1.5 प्रतिशत ज़्यादा है।[17] वित्त वर्ष 2021–22 में तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अधिक रही। विकास की रफ्तार बढ़ने से आशा का संचार हुआ है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अवरुद्ध मांग के और बढ़ने की संभावना है। सरकार की केंद्रित वित्तीय और मौद्रिक नीतियां आपूर्ति की बाधाओं को दूर कर संतुलन सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। विश्व बैंक ने 2022–23 में भारत के वास्तविक जीडीपी की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जाहिर किया है। यह अमेरिका (2.4 प्रतिशत), यूरो क्षेत्र (1.9 प्रतिशत), जापान (1.3 प्रतिशत), चीन (5.2 प्रतिशत), रूस (ऋणात्मक 2.0 प्रतिशत), ब्राज़ील (0.8 प्रतिशत), मैक्सिको (1.9 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीका (1.5 प्रतिशत) जैसी उन्नत और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी ज़्यादा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के जो तदर्थ अनुमान जारी किए हैं, उनके अनुसार 2020–21 में इससे पूर्व के वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव नकारात्मक चार प्रतिशत रहा। लेकिन 2021–22 में यह दर 8.1 प्रतिशत थी।[18] वित्त वर्ष 2021–22 में हर क्षेत्र में बदलाव का प्रतिशत सकारात्मक रहा (तालिका–1)। प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020–21 में 1,00,032 रुपये और 2021–22 में 1,07,670 रुपये रहने का अनुमान है।

तालिका–1: आर्थिक गतिविधियों से मूल कीमतों पर जीवीए के तदर्थ अनुमान (2011–12 की कीमतों पर)

क्षेत्र	पिछले वर्ष (2021–22) की तुलना में प्रतिशत बदलाव
1. कृषि, वानिकी और मछली पालन	3.0
2. खनन और उत्खनन	11.5
3. मैनुफैक्चरिंग	9.9
4. बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं	7.5
5. निर्माण	11.5
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	11.1
7. वित्तीय, ज़मीन–जायदाद और प्रोफेशनल सेवाएं	4.2
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	12.6
आधार मूल्यों पर जीवीए	8.1

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय https://mospi.gov.in/documents/213904/416359/Press%20Note_PE%20FY22m1653998874449.pdf/9616eef9-71b9-7522-808a-5fd438857454

13 आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap08.pdf

14 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 10.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832847

15 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 20.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1835553

16 बजट भाषण 2022–23 https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

17 मासिक मॉनीटर, आर्थिक मामले विभाग https://dea.gov.in/sites/default/files/MER%20May_2022.pdf

18 प्रेस विज्ञप्ति 31.06.2022 https://mospi.gov.in/documents/213904/416359/Press%20Note_PE%20FY22m1653998874449.pdf/9616eef9-71b9-7522-808a-5fd438857454

रोज़गार

देश का कुल कार्यबल लगभग 47 करोड़ है जिनमें से 81 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं।[19] इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक महामारी, लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियां रुकने का रोज़गार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सेवा की तुलना में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में यह प्रभाव ज़्यादा दिखायी दिया है। इसका प्रमाण पहली तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (क्यूईएस) रिपोर्ट में मिलता है (तालिका–2)।

तलिका–2: लॉकडाउन (25.03.2020 से 30.06.2020 तक) के दौरान कामगारों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्र. सं.	क्षेत्र	कामगारों की संख्या (लाख में)			
		लॉकडाउन (25.03.2020) से पहले		01.07.2020 को	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	मैनुफैक्चरिंग	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4.0
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आतिथ्य और रेस्त्रां	7.0	1.9	6.2	1.7
8.	सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
	कुल	**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

स्रोत: लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5189 पर चार अप्रैल, 2022 को दिया गया उत्तर
http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/178/AU5189.pdf

क्यूईएस के दूसरे दौर (जुलाई–सितंबर, 2021) के अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था के 9 गैर–कृषि क्षेत्रों में कुल रोज़गार बढ़ कर 3.10 करोड़ हो गया। पहले दौर (अप्रैल–जून, 2021) में यह संख्या 3.08 करोड़ थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पहली की तुलना में दूसरी तिमाही में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं, दोनों की बेरोज़गारी दर में गिरावट आयी (तालिका–3)। ये आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और श्रम बाज़ार के औपचारीकरण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोणों के सकारात्मक परिणामों के संकेत हैं।[20]

तलिका–3: बेरोज़गारी दर

सर्वेक्षण	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन (अप्रैल–जून, 2021)	12.2%	14.3%	12.6%
पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन (जुलाई–सितंबर, 2021)	9.3%	11.6%	9.8%

स्रोत: लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5189 का चार अप्रैल, 2022 को दिया गया उत्तर
http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/178/AU5189.pdf

एमएसएमई की नयी विस्तृत परिभाषा संयंत्र और मशीनरी एवं उपकरणों में निवेश तथा राजस्व पर आधारित है। इस परिभाषा को अपनाए जाने के दो वर्षों के अंदर 6 जुलाई, 2022 तक 95.34 लाख से ज़्यादा उद्यमों ने एमएसएमई के दायरे में आने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। एमएसएमई को मिलने वाले लाभों को हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले इन उद्यमों में खुदरा और थोक व्यापारियों के अलावा रेहड़ी–पटरी वाले भी शामिल हैं।

देश में कुल 95.15 लाख एमएसएमई में 7.4 करोड़ कामगारों को रोज़गार प्राप्त है जिनमें 1.7 करोड़ (23 प्रतिशत) महिलाएं हैं।[21] कामगारों की इस बढ़ती संख्या को ई–श्रम, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) और आत्मनिर्भर कुशल कामगार–नियोक्ता मैपिंग (असीम) पोर्टलों के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल के प्रस्तावित एकीकरण का काफी लाभ मिलेगा। उद्यम पंजीकरण पोर्टल की बुनियाद ही आयकर रिटर्न और जीएसटी संख्या के आंकड़े हैं। ई–श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों का केंद्रित डाटाबेस है। 'एनसीएस' और 'असीम' श्रमबल की मांग के साथ आपूर्ति का संतुलन बनाते हैं।

प्रशिक्षण और कौशल विकास से ही उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इसके ज़रिए भावी और मौजूदा उद्यमियों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में ज़रूरी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए एक करार किया है।[22]

---

19 लोकसभा अतारांकित प्र सं 5278 का 04.04.2022 को दिया गया उत्तर http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/178/AU5278.pdf

20 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 26.04.2022 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1820267

21 उद्यमी डै kcksMZ https://udyamregistration.gov.in/realtimeudyamdashboard.aspx

22 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 29.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1838050

निर्यात

निर्यात का बढ़ता स्तर अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी पर लौटने का संकेत है। वैश्विक मांग बहाल होने के साथ ही 2021–22 में निर्यात का स्तर 2019–20 की तुलना में 113 प्रतिशत रहा। मई, 2022 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 62.21 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। यह मई, 2021 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है (तालिका–4)। लेकिन मई, 2021 की तुलना में इस साल इसी माह में आयात वृद्धि दर इससे कहीं तेज़ 59 प्रतिशत रही।

निर्यात में औद्योगिक वस्तु उत्पादों का योगदान 2020–21 में 86 प्रतिशत से बढ़ कर 2021–22 में 89 प्रतिशत हो गया। निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि इंजीनियरी सामग्री, पेट्रोलियम उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सामान में रही। वस्तु निर्यात का लगभग आधा हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र से रहा।[23] एमएसएमई की जो नयी परिभाषा 2020 से अपनायी गयी है उसमें सूक्ष्म, छोटे या मझोले उद्यम के वर्गीकरण के लिए निर्यात के आंकड़ों को कुल कारोबार से घटा दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार निर्यात बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है।

आगे की राह

सकारात्मक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप जीडीपी के आँकड़े वैश्विक महामारी से पहले के स्तर पर पहुँच गए हैं। इन हस्तक्षेपों

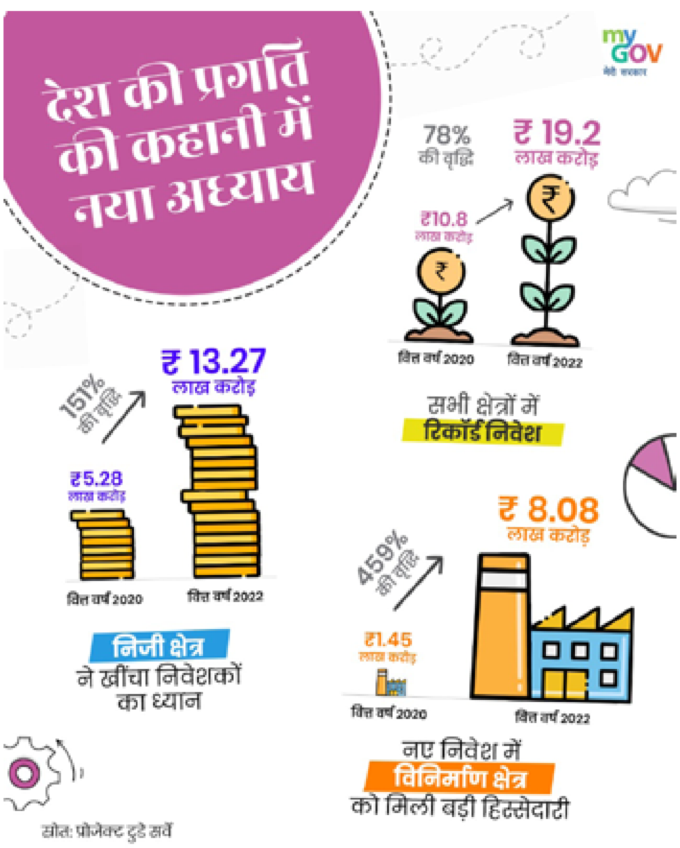

23 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 22.07.2019 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1579757

तालिका–4: मई, 2022 में व्यापार

वस्तु/सेवा	व्यापार	मई, 2022 (अरब अमेरिकी डॉलर)	मई, 2021 (अरब अमेरिकी डॉलर)	मई, 2021 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
वस्तु	निर्यात	38.94	32.30	20.55
	आयात	63.22	38.83	62.83
सेवा	निर्यात	23.28	17.86	30.32
	आयात	14.43	9.95	45.01
कुल व्यापार (वस्तु एवं सेवा)	निर्यात	62.21	50.16	24.03
	आयात	77.65	48.78	59.19

स्रोत: पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति 15.06.2022 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1834153

को कारगर और प्रभावी बनाने के लिए सम्मिलित प्रयासों की ज़रूरत है। ज़्यादा–से–ज़्यादा उद्यमियों और खासतौर से ग्रामीण एमएसएमई को औपचारिक दायरे में लाए जाने की आवश्यकता है। कोई भी उद्यम एमएसएमई का दर्जा पाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। निसंदेह, एमएसई से कुल सालाना खरीद 25 प्रतिशत की अनिवार्यता से 10 प्रतिशत अंक ज़्यादा रही है। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले एमएसई (0.82 प्रतिशत) और महिलाओं के एमएसई (1.10 प्रतिशत) से सालाना खरीद क्रमशः चार प्रतिशत और तीन प्रतिशत की अनिवार्यता से काफी कम है।

महामारी के बाद की दुनिया की मांग से कदमताल करते हुए डिजिटल हस्तक्षेपों पर निर्भरता बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए डिजिटल जगत तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में मज़बूत अवसंरचना औद्योगिक विकास के प्रभाव को बढ़ाती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। इससे आत्मनिर्भर पैकेज में की गई घोषणाएं सफल होंगी। उद्यमी आत्मनिर्भर बनेंगे और औद्योगिक प्रगति के ज़रिए आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय में अपर विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेलः igtripathy@gmail.com

कुरुक्षेत्र के आगामी अंक

सितम्बर 2022 – जनजातीय जीवन एवं संस्कृति

अक्तूबर 2022 – कृषि उद्यमिता

स्थानीय उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती

– अरविन्द कुमार मिश्रा

देश के प्रत्येक ज़िले के कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद को विकसित करने से जुड़ी *एक ज़िला एक उत्पाद* योजना के तहत स्वरोज़गार अपना कर युवा जहां स्वावलम्बी बन सकते हैं, वहीं इससे किसानों को आय के नए विकल्प मिलते हैं। ओडीओपी से नकदी फसलों के उत्पादन को नया आयाम मिलेगा। योजना में शामिल उत्पादों में रोज़मर्रा की ज़रूरत की अनेक वस्तुएं शामिल हैं। भारत सरकार विदेश व्यापार नीति के ज़रिए ओडीओपी सूची में शामिल वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार इस योजना के ज़रिए अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ावा देने के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे महात्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी–7 समिट का हिस्सा बनने 26 जून, 2022 को जर्मनी के दौरे पर गए थे। यहां द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की एक छोटी–सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का खूब ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री जी–7 के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देने के लिए ऐसी वस्तुएं अपने साथ लेकर गए, जो अब तक भारत के गाँवो और छोटे शहरों तक सीमित थीं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को वाराणसी में तैयार मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हाथ से प्लेटिनम पेंट की गई चाय का सेट उपहार में दिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को यूपी के निज़ामाबाद में बने काली मिट्टी के बर्तन तो वहीं अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज़ को छत्तीसगढ़ की डोकरा कला भेंट की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो रेशमी कालीन के शिल्प कौशल और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ मुरादाबाद की नक्काशी वाले मटके के मुरीद हो गए। जी–7 समिट में शिरकत करने आए इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी आगरा में तैयार मार्बल इनले टेबल टॉप अपने साथ लेकर गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस छोटी–सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हुनर को न सिर्फ वैश्विक पहचान दी बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' की व्यावसायिक अहमियत को स्थापित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा जी–7 के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए गए उपहार किसी बहुउद्देशीय कंपनी (एमएनसी) में तैयार उत्पाद नहीं थे, बल्कि ग्रामीण भारत में सैकड़ों सालों से मौजूद हुनर से तैयार सामान हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िदंगी का हिस्सा

ओडीओपी हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाएं

क्रेडिट लिंक गारंटी एवं सब्सिडी–प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज (पीएमएफएमई) के तहत ओडीओपी उत्पाद के विनिर्माण में जुटी इकाइयों को प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलती है। हितग्राही 10 प्रतिशत योगदान के साथ शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंक ग्रांट (ऋण संबद्ध अनुदान) स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक सहकारी समितियों आदि को प्रदान किया जाता है।

मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग–मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित की गई हैं। उत्पाद की लागत के 50 प्रतिशत अनुदान के ज़रिए उसे ब्रांड रूप में विकसित करने और विपणन हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ओडीओपी के दस ब्रांड विकसित करने के लिए 'नेफेड' के साथ एक समझौता किया है।

सीड कैपिटल–ओडोओपी उत्पादों के लिए 'सीड कैपिटल' की व्यवस्था की गई है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे काम में लगे स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) को प्रति सदस्य 40 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इससे हस्तशिल्प या अन्य कुटीर उद्योग से जुड़े व्यक्ति व संस्थाओं की आधुनिक मशीनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। ओडीओपी योजना के ज़रिए ही देशभर में बुनकरों को आधुनिक लुम प्रदान किए गये हैं। इसी तरह मिट्टी के लिए आधुनिक चाक मिलने से कुम्हारों के व्यवसाय को गति मिली है।

प्रशिक्षण व कौशल विकास–ओडीओपी के लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे अहम क्षेत्र कौशल विकास है। इसके तहत ऑपरेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएसएसएआई मानक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार, जीआई टैग रजिस्ट्रेशन समेत अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही, उत्पाद की गुणवत्ता, भंडारण, पैकेजिंग और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे बिज़नेस ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के साथ वस्तु को गुणवत्ता मिलती है। एक ज़िला एक उत्पाद को ज़िला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) से सम्बद्ध किया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) से जुड़े विशेषज्ञों की योग्यता का लाभ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अपग्रेडेशन और डीपीआर बनाने से जुड़े प्रशिक्षण में किया जाना चाहिए।

हैं। औपनिवेशिक काल का दंश और फिर बाद के वर्षों की आर्थिक नीतियों में उपेक्षा के कारण इन वस्तुओं को अब तक जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। परिणामस्वरूप जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ने लगा, वहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले गांव हर छोटी–बड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए शहरों पर केंद्रित होते गए। हालांकि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर चुके भारत की तस्वीर अब बदल रही है।

देश के अलग–अलग ज़िलों से सात समंदर पार पहुंच रहे इन उत्पादों में ख़ास समानता है। यह सभी केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की सूची में शामिल हैं। ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित 'एक ज़िला एक उत्पाद' योजना बहुद्देशीय नतीजे लेकर आई है। ओडीओपी के अंतर्गत केंद्र द्वारा 35 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 710 ज़िलों में कम से कम एक–एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जा चुका है। केंद्र की इस योजना में अपनी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए राज्य प्रस्ताव भेजते हैं, जिस पर उन्हें केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से मंज़ूरी मिलती है। ख़ास बात यह है कि इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पादों के साथ ही मोटर ऑटो पार्ट और छोटे इलेक्ट्रॉनिक व मशीनरी कम्पोनेंट को भी जगह दी गई है।

उत्पादन और बिक्री से जुड़े सभी समाधान उपलब्ध कराने वाली इस योजना के विभिन्न घटक हैं। इनमें उत्पादकों को ऋण प्रदान करने से लेकर, निर्यात प्रोत्साहन, मानक (स्टैंडर्ड) व प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), भंडारण के लिए सब्सिडी योजना, उत्पादकों का कौशल उन्नयन आदि प्रमुख हैं। ओडीओपी में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत एमएसएमई के किसी प्रोजेक्ट को लागत का 90 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत को मज़बूती देने वाली इस योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि एवं किसन कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय जैसे विभिन्न साझेदार प्रयासों को एकीकृत रूप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य नोडल एजेंसी नियुक्ति के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य–स्तरीय अनुमोदन समिति और ज़िला–स्तरीय समिति का गठन किया है। इसी तरह आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से लेकर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल कलस्टर डेवलपमेंट स्कीम से ओडीओपी कार्यक्रम को जोड़ा गया है।

ओडीओपी से मूल्य श्रृंखला को मज़बूती

एक ज़िला एक उत्पाद योजना कच्चे माल की खरीदी, सेवाओं की उपलब्धता और उसके विपणन की व्यवस्था से जुड़ी मूल्य श्रृंखला को प्रभावी बनाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का संतुलन बेहतर होने के साथ निर्यात के मोर्चे पर अभूतपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। योजना में छोटे कुटीर, हस्तशिल्प, दस्तकारी हुनरमंद लोगों को पूंजी, तकनीक और विपणन की सुविधा प्रदान की जाती है। पूंजी निवेश के लिए व्यक्तिगत माइक्रो

यूनिट के चयन में भी ओडीओपी उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। 'वोकल फॉर लोकल' की थीम पर देश के कोने–कोने में तैयार हो रही वस्तुओं के लिए संस्थागत स्तर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध है। वाणिज्य और कृषि मंत्रालय कृषि निर्यात नीति के तहत ओडीओपी उत्पादों के कलस्टर विकसित कर रहे हैं। इससे देश के छोटे शहरों को विशेष रूप से उद्यमिता और रोज़गार का बड़ा फलक मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ओडीओपी से 20 खरब रुपये के विनिर्माण का लक्ष्य तय किया है।

ऑटो पार्ट से लेकर अचार तक शामिल

योजना में शामिल उत्पादों में रोज़मर्रा की ज़रूरत की अनेक वस्तुएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में जहां चमड़ा एवं स्टोन–मार्बल निर्मित हस्तशिल्प, अमरोहा के वाद्य यंत्र और रेडीमेड गारमेंट, अलीगढ़ के ताले और धातु के हस्तशिल्प शामिल हैं तो वहीं मध्यप्रदेश के पन्ना जैसे आदिवासी ज़िले में आंवले से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह बिहार में *एक ज़िला एक उत्पाद* की सूची में लीची, मखाना और वस्त्र जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोटर पंप, चेंगलपट्टू में ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट, शिवगंगई में कॉयर उत्पादों को ओडीओपी की सूची में जगह दी गई है।

लोकल बनेगा ग्लोबल ब्रांड

केंद्र सरकार विदेश व्यापार नीति के ज़रिए ओडीओपी सूची में शामिल वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार इस योजना के ज़रिए अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ावा देने के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे महात्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है। इसके लिए ओडीओपी सूची में शामिल वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के लिए प्रदर्शनियों और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मंच मुहैया कराए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आईबीईएफ स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड सृजन में सहायक है। इसके लिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु आईबीईएफ में स्थान दिया गया है।

मानकों से बढ़ी स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता—बदलती जीवनशैली के साथ उत्पादों के प्रति ग्राहकों की संवेदनशीलता बढ़ी है। किसी भी उत्पाद के प्रति भरोसा उसकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार होता है। ओडीओपी उत्पादों को 'ब्रांड' के रूप में विकसित करने का प्रमुख आधार प्रमाणन व मानकीकरण है। देश में भारतीय मानक ब्यूरो और एफएसएसएआई जैसी संस्थाओं से क्रमशः आईएसआई चिन्ह और खाद्य सुरक्षा मानक उत्पादों को दिए जाते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों के प्रति भरोसा बढ़ता है। आईएसआई मार्क प्रमाणन को तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में व्यवसायों को आवंटित किया जाता है।

क्या है जीआई टैग

देश भर में उत्पादित स्थानीय वस्तुएं किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। इन वस्तुओं की मांग जब दुनिया भर में बढ़ने लगती है तो इनसे मिले–जुले उत्पाद तैयार कर मुनाफा कमाने की कोशिश होती है। ऐसे में वस्तुओं की गुणवत्ता व पहचान बनाए रखने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसे आप भौगोलिक संकेतक भी कह सकते हैं। भारतीय संसद ने उत्पादों के पंजीयन और संरक्षण हेतु दिसंबर 1999 में जियोग्राफिकल इंडीकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट पारित किया। इससे भारतीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जाने की राह आसान हुई। देश में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स (सीजीपीडीटीएम) जीआई टैग प्रदान करता है। दस साल के लिए मिलने वाले जीआई टैग के आवेदकों (व्यक्तिगत, समुदायिक, संस्थागत) को अपने उत्पाद की विशिष्टता, उसकी विरासत आदि के बारे में बताना होता है। बहुत से जीआई टैग सामूहिक या एक या एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र के औद्योगिक संघ, स्वयं सहायता समूह व सहकारी समितियों को प्रदान किए जाते हैं।

हुनर को मिलता डिजिटल मंच—कारीगर या उत्पादक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ओडीओपी योजना में खुद को पंजीकृत कर सकता है। इससे ईज ऑफ डुइंग व्यवस्था से छोटी विनिर्माण इकाइयों को सम्बद्ध करने में मदद मिलती है। छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) की सुविधा दी है। इसमें राज्य सरकारें ओडीओपी के उत्पाद भी शामिल कर सकती हैं। यह एक ओर जहां स्थानीय उत्पादों के साथ ग्राहकों को लिंक करता है वहीं स्टार्टअप परितंत्र विकसित करने के लिए युवा उद्यमियों को प्रेरित करता है। अमेज़न जैसी ई–कॉमर्स कम्पनियां अब भारत के लोकल की ताकत को पहचान रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेज़न के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमेज़न उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम में जगह देगा। यह अमेज़न का ई–कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम है। इससे उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की 200 देशों के बाज़ार तक सीधी पहुंच बनेगी। इसके ज़रिए एमएसएमई को अमेज़न के तय प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना होता है।

वोकल फॉर लोकल को भारतीय रेल ने दी गति

एक ज़िला एक उत्पाद योजना से तैयार होने वाली वस्तुओं की बिक्री और विपणन को भारतीय रेलवे नई ऊंचाई दे रही है। इसके लिए देश भर में रेलवे द्वारा 5328 स्टेशनों पर *'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट'* (ओएसओपी) योजना शुरू की जा रही है। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश के बैतूल स्टेशन में औद्योगिक संघ द्वारा आमला

क्षेत्र में तैयार होने वाले गुड़ को बिक्री के लिए रखा गया है। इससे गुड़ उत्पादन में लगी छोटी व मझोली इकाइयों के साथ गन्ना किसानों को भी लाभ मिलेगा। अभी स्थानीय उत्पादों से उसके आसपास के लोग ही परिचित नहीं होते हैं, जिससे स्थानीय उत्पाद न सिर्फ बड़े बाजार से वंचित रह जाते हैं बल्कि उनकी जगह पर विदेशी उत्पाद कब्ज़ा जमा लेते हैं। रेलवे के नवाचार से घरेलू स्तर पर स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ेगी। रेलवे की स्कीम में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हैंडलूम, परम्परागत वस्त्र, स्थानीय कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड फूड आइटम को शामिल किया गया है। रेलवे ने अपनी पहल में इस बात का भी ध्यान रखा है कि रेलवे स्टेशन पर लगाए जाने वाले स्टॉल में ऐसे उत्पाद होने चाहिए जो मौजूदा लाइसेंस धारकों के कारोबार को प्रभावित न करें।

गांव में बने उत्पादों को भी जीआई टैग– ओडीओपी योजना के तहत दार्जिलिंग की चाय, नागपुर के संतरों और तिरुपति के लड्डु की तरह ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई टैग) प्रदान किया जाता है। ओडीओपी में शामिल कड़कड़नाथ मुर्गे समेत लगभग 300 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अकेले वाराणसी के आसपास कुछ वर्षों में दस जीआई टैग स्थानीय उत्पादों को दिए जा चुके हैं। जीआई टैग का सबसे बड़ा लाभ बेहतरीन उत्पादों को बिचौलियों से बचाने और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में है।

राज्यों में व्यापार सुगमता का प्रतिस्पर्धी माहौल– *'मेक इन इंडिया'* के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थानीय उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। ज़ाहिर है कि इसके लिए उत्पादकों की कच्चे माल से लेकर ज़रूरी संसाधनों तक पहुंच सुगम बनानी होगी। इसमें कच्चे माल की खरीदी, मशीनरी, तकनीक, बिजली की आपूर्ति और ज़मीन के साथ ही ज़रूरी लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना अहम है। स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन व विपणन क्षेत्र में रोज़गार के अवसर देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारें कारोबारी वातावरण सुधारने में लगी हैं। निवेश आकर्षित करने की यही पहली शर्त भी है। *एक ज़िला एक उत्पाद* कार्यक्रम से राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार प्रति वर्ष सुगम व्यापार व्यवस्था से जुड़े राज्यों की रैंकिंग जारी करती है। ओडीओपी के तहत सूक्ष्म, मझोली और लघु विनिर्माण इकाइयों को मिलने वाली ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधाओं का सीधा असर इस रैंकिंग में पड़ता है। यही नहीं, सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री अवॉर्ड फॉर एक्सिलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओडीओपी योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन को भी आधार बनाया गया है।

हरियाणा में ब्लॉक व तहसील तक पहुंची ओडीओपी

एक ज़िला एक उत्पाद योजना से विनिर्माण क्षेत्र में जिस तरह असीमित संभावनाएं हैं, उसे देखते हुए हरियाणा में ओडीओपी को ब्लॉक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। राज्य सरकार ब्लॉक में कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री जैसे उत्पादों को चिन्हित कर उन्हें विकसित करेगी। इसके तहत ब्लॉक में ही उत्पादों की पैकेजिंग, प्रयोगशाला परीक्षण, परिवहन आदि की व्यवस्था होगी। *वन ब्लॉक वन प्रॉडक्ट* (ओबीओडी) के तहत राज्य सरकार लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से क्लस्टर विकसित करने की तैयारी में है।

टेराकोटा शिल्पकला को ओडीओपी से मिली पहचान

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की खास शिल्पकला टेराकोटा को राज्य सरकार ने 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना में शामिल किया है. कभी बाज़ार और मांग के संकट से जूझने वाली इस शिल्पकला

पीएमएफएमई स्कीम से निकले ओडीओपी के बड़े ब्रांड

ब्रांड	ज़िला	राज्य	उत्पाद
मखाना किंग	दरभंगा, मुज़्ज़फरपुर	बिहार	सादा मखाना, चटपटा मखाना
दिल्ली बेक्स		दिल्ली	कुकीज़ और रस्क
मधु मंत्र	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	मल्टीफ्लोरा शहद
कोरी गोल्ड	कोटा	राजस्थान	धनिया पाउडर
कश्मीरी मंत्र	कुलगाम	जम्मू एवं कश्मीर	लाल मिर्च पाउडर
अमृत फल	गुड़गांव	हरियाणा	आंवला जूस
सोमदाना	ठाणे	महाराष्ट्र	बाजरे का आटा
मधुर मिठास	मुज़्ज़फर नगर	उत्तर प्रदेश	गुड़ पाउडर
अनारस	री–भोई	मेघालय	सूखे मसालेदार अनानास
पिंड से	अमृतसर	पंजाब	आम का अचार

स्रोतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

से जुड़े कारीगरों के लिए अब उत्पाद की आपूर्ति कर पाना चुनौतीपूर्ण है। टेराकोटा के परम्परागत उत्पाद बाज़ार से प्लास्टिक से बनी चीन के उत्पादों को बाहर कर रहे हैं। मिट्टी की ज्वेलरी जैसे नेकलेस, झुमका, बाली और कंगन के साथ ही खिलौनों और राखी की विशेष मांग रहती है। शिल्पकार इन उत्पादों का डिज़ाइन, रंगत और फिनिशिंग कुछ इस तरह करते हैं कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि यह उत्पाद मिट्टी के बने हुए हैं। यह इको–फ्रेंडली होने के साथ सस्ते और टिकाऊ भी होते हैं।

किसानों को मिला आय का नया विकल्प

एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत स्वरोज़गार अपनाकर युवा जहां स्वावलम्बी बन सकते हैं, वहीं इससे किसानों को आय के नए विकल्प मिलते हैं। ओडीओपी से नकदी फसलों के उत्पादन को नया आयाम मिलेगा। यहां बिहार में स्ट्रॉबेरी उत्पादन का उल्लेख किया जा सकता है। बिहार के औरंगाबाद से ओडीओपी उत्पाद के रूप में स्ट्रॉबेरी का चयन किया गया है। स्ट्रॉबेरी से जूस, जेली, मिठाई, केक व चॉकलेट बनाने के उद्यम खड़े किए जा रहे हैं। इससे औरंगाबाद ही नहीं झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। ओडीओपी योजना लागू होने से पहले तक स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को स्थानीय स्तर पर बाज़ार नहीं मिल पाता था। अब उनके उत्पाद पटना से आगे निकलकर कोलकाता और अन्य महानगरों को भेजे जा रहे हैं। इससे रोज़गार का अतिरिक्त सृजन हो रहा है। ऐसे किसान जो कुछ ही फसलों पर केंद्रित रहते थे, उनके उद्यानिकी की ओर बढ़ने से फसल चक्रीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान हो रहा है।

इंडोनेशिया को पसंद आया ओडीओपी मॉडल

देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद को विकसित करने से जुड़ी योजना अब दूसरे देशों को भी पसंद आ रही है। हाल ही में भारत और भूटान में इंडोनेशिया की राजदूत इना हाग्निनिंग्टस कृष्णमूर्ति ने उत्तरप्रदेश का दौरा कर ओडीओपी योजना के क्रियान्वयन संबंधी विशेषज्ञता पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। इंडोनेशिया ने भारत की तरह ही एक गांव–एक उत्पाद योजना शुरू की है। हर ज़िले के एक उत्पाद की तरह ही अब उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन स्थल को भी विशेष पहचान दी जा रही है। यहां वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रॉडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट–वन डेस्टिनेशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत हर ज़िले से एक पर्यटन स्थल का चयन किया जाना है। इसमें इको टूरिज़्म पर विशेष ज़ोर है।

दुनिया भर में सफल रहा है ओडीओपी मॉडल

जापान ने 1979 में सबसे पहले 'वन विलेज वन प्रॉडक्ट' योजना लागू की गई थी। वियतनाम में 'एक समुदाय एक योजना', फिलीपींस में वन टाउन वन प्रॉडक्ट, ओसियाना में वन आईसलैंड वन प्रॉडक्ट योजना इन देशों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने में सहायक हुई हैं। देश के आर्थिक इतिहास को देखें तो प्राचीनकाल से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर रही है। औपनिवेशिक काल तथा बहूद्देशीय कंपनियों के बढ़ते दखल ने हमारी विनिर्माण क्षमता को तहस–नहस कर दिया। अब स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हुए आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

- 710 ज़िलों में एक–एक विशिष्ट उत्पाद का चयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा चुका है।
- 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंक ग्रांट (ऋण संबद्ध अनुदान) स्वयंसहायता समूहों, उत्पादक सहकारी समितियों आदि को प्रदान किया जाता है।
- 02 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता से जुड़ी सहायता पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी (2024–25 तक)।
- 50 हज़ार पंजीयन प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग ईंटरप्राइज़ेज (पीएमएफएमई) के तहत किए गए (10 जुलाई 2022 तक)
- 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 75 इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना को केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में ''देश में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी तरह का हुनर होता है, ज़रुरत ऐसे लोगों व संस्थाओं की क्षमता को पहचान कर उसके उन्नयन की है। यदि नीतिगत स्तर पर हम ऐसा करने में सफल होते हैं, तो इसका प्रभाव देश के आर्थिक परिदृश्य पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक व अन्य क्षेत्रों पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा''। 'मेक इन इंडिया' योजना का अहम घटक 'एक ज़िला एक उत्पाद' आर्थिक विकास की यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करने का अभूतपूर्व उपक्रम है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

संदर्भ

https://pmfme.mofpi.gov.in/

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/odop_list_of_35_states_and_uts.pdf

https://twitter.com/MOFPI_GOI/status/1548254883752857600

https://twitter.com/MOFPI_GOI/status/1547500982242021377

https://www.ibef.org/blogs/india-s-one-district-one-product-programme

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1694805

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/promise-of-one-district-one-product/article37565282.ece

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1557778

खादी, ग्रामोद्योग और रोज़गार

–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

आज़ादी की लड़ाई के समय स्वावलंबन का प्रतीक बनी खादी आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारों पर एकदम खरी उतरती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम हिस्सेदारी रखने वाली खादी आज केवल कपड़ा नहीं रह गई है, इसके साथ तमाम ग्रामीण उद्योग भी जुड़ गए हैं, जो कृषि से इतर आय दिलाते हैं। यही नहीं बल्कि आज का युवा खादी को दोनों हाथों से गले लगाने को तैयार है मगर उसे समय के हिसाब से बेहतर कपड़ा, रंग और डिज़ाइन चाहिए। आकांक्षाओं से भरपूर युवा को ऐसे उत्पाद तैयार करने का मौका मिलना चाहिए, जो आजकल चलन में हों और जो बेहतर मार्जिन के साथ ज़्यादा बड़े बाज़ार में पहुंच सकें।

जब हम गाँवों और ग्रामीण उद्योगों की बात करते हैं तो खादी का नाम बरबस ही हमारे दिमाग में कौंध जाता है। कौंधेगा क्यों नहीं, कम से कम पिछले आठ वर्ष में तो खादी पर सरकार ने इतना ज़ोर दिया है कि ज़्यादातर लोग जान ही गए हैं कि ग्रामीण परिवारों में यह आय का बड़ा साधन है। मगर खादी महज़ एक उत्पाद नहीं है। यह हमारी आज़ादी की लड़ाई का साक्षी भी है और उसका ज़रिया भी। आज़ादी की लड़ाई के समय स्वावलंबन का प्रतीक बनी खादी आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारों पर एकदम खरी उतरती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम हिस्सेदारी रखने वाली खादी आज केवल कपड़ा नहीं रह गई है, इसके साथ तमाम ग्रामीण उद्योग भी जुड़ गए हैं, जो कृषि से इतर आय दिलाते हैं।

ऐसे में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यानी 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' पर यह तो देखा ही जाना चाहिए कि महात्मा गांधी ने स्वराज के जिस सपने के साथ सूत कातना शुरू किया था, आज उसकी स्थिति क्या है? क्या वाकई खादी गांधी जी के सपनों पर ख़री उतर रही है? क्या वाकई ग्रामीण समाज को सशक्त बनाने में खादी अपनी भूमिका अदा कर रही है?

आज़ादी के बाद खादी को सबसे ज़्यादा बल निसंदेह 2014 में मिला, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से खादी पहनने का आह्वान किया। उसके बाद से खादी के उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ी और साथ में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तहत आने वाले अन्य उद्योगों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। पिछले कुछ वर्षों में खादी और ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों की मांग बढ़ी है। नई पीढ़ी भी प्राकृतिक होने की वजह से इन उत्पादों को बहुत पसंद कर रही है। मांग अब खादी के कपड़ों या पोशाकों तक सीमित नहीं रही है। चूंकि केवीआईसी के तहत अब रोज़मर्रा की खपत की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, घर की सजावट का सामान, स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद और अन्य ज़रूरत का सामान बन रहा है, इसलिए इसकी बिक्री भी बढ़ रही है। इसी वजह से खादी ने इस वर्ष अप्रैल में तहलका मचा दिया।

रिकॉर्ड कारोबार

जब कारोबारी आंकड़े सामने आए तो खादी के कपड़े से लेकर पापड़, चटनी, अचार और जूते से लेकर छोटी मशीनरी तक बनाने में मदद करने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश की तमाम एफएमसीजी कंपनियों को पछाड़ते हुए एक वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर डाला। देश में एफएमसीजी क्षेत्र की हरेक कंपनी के लिए यह कारोबारी आंकड़ा अभी सपना ही है। केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2021–22 में कुल 1,15,415.22 करोड़ रुपये का कारोबार किया।[1]

वित्त वर्ष 2020–21 में उसका कारोबार 95,741.74 करोड़ रुपये था, जिस हिसाब से केवीआईसी का कारोबार 20.54 फीसदी बढ़ा है। निसंदेह खादी पर असली ज़ोर 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद दिया गया। उस वित्त वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने पर ही असली तस्वीर सामने आएगी कि तमाम योजनाओं का कितना फायदा हुआ है। तुलना करने पर पता चलता है कि 2014–15 के मुकाबले कारोबार में 172 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है और बिक्री तो 248 फीसदी बढ़ी है यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अभी तक केवीआईसी की बिक्री साढ़े तीन गुना बढ़ चुकी है। यहां इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती तीन महीनों में कोविड की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन था अन्यथा कारोबार और बिक्री के आंकड़े कहाँ जाकर टिकते, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।

आँकड़े नीरस ज़रूर होते हैं मगर वे हमें असली तस्वीर दिखाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो राजग सरकार के आठ साल के कदम काफी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। वर्ष 2021–22 में खादी का कारोबार ही 5,052 करोड़ रुपये पर रुका, जो उससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 43.20 फीसदी ज़्यादा है। वर्ष 2014–15 से तुलना करें तो खादी का कारोबार करीब तीन गुना हो चुका है और

1 विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1821521

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना और खादी की कदमताल से रोज़गार

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान देते हुए शुरू की गई प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना पिछले कुछ वर्षों से खादी और ग्रामीण उद्योगों के लिए वरदान साबित हो रही है। खादी पर प्रधानंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज़ोर के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। आयोग ने कोविड महामारी से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अंतर्गत 1.03 लाख नई उत्पादन और सेवा इकाइयां लगाईं, जिनसे 8.25 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिला। नई इकाइयों का आंकड़ा 2020–21 के मुकाबले 39 फीसदी बढ़ गया। यह छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इस वित्त वर्ष के शुरुआती तीन महीनों में देश कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन से गुज़र रहा था।

इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी और पहली बार किसी वित्त वर्ष में खादी, ग्रामोद्योग की एक लाख से अधिक इकाइयां लगी हैं। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों की उत्पादन इकाई के लिए 25 लाख रुपये और सेवा इकाई के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में ये 1,03,219 इकाइयां लगाने पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिनमें 2,978 करोड़ रुपये की सहायता आयोग ने दी। बाकी राशि बैंक से कर्ज़ के रूप में मिली।

2014 में आई राजग सरकार ने खादी पर जिस तरह ज़ोर देना शुरू किया, उसका असर अब उत्पादन और रोज़गार में साफ नज़र आ रहा है। वर्ष 2014–15 के बाद से लगाई गई इकाइयों का आंकड़ा देखें तो पिछले वित्त वर्ष में उनमें 114 फीसदी का इज़ाफा हुआ और रोज़गार भी 131 फीसदी बढ़ा। आयोग ने यह योजना असरदार तरीके से लागू करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मसलन 2016 में आयोग ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। उससे पहले आवेदन हाथ से भरकर जमा करने होते थे और हर साल औसतन 70,000 आवेदन आयोग के पास आते थे। मगर ऑनलाइन पोर्टल आने के बाद हर साल औसतन 4 लाख के करीब आवेदन आते हैं और तेज़ी से मंज़ूर भी किए जाते हैं।

आयोग ने इस योजना के तहत शुरू की जा रही सभी इकाइयों की जियो–टैगिंग भी शुरू कर दी है, जिससे इकाइयों की वास्तविक स्थिति और प्रदर्शन का पता किसी भी समय लगाया जा सकता है। ऐसी एक लाख से अधिक इकाइयों की टैगिंग पूरी हो चुकी है। इससे इकाइयां बेहतर तरीके से काम कर रही हैं और कोई भी व्यक्ति मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से किसी भी समय खादी इकाई का पता लगा सकता है।

(स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय)

खादी को प्रोत्साहन की एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं

खादी ग्रामोद्योग आयोग के ज़रिए एमएसएमई मंत्रालय खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्न योजनाएं चला रहा है:

1. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) योजना– इस योजना में खादी संस्थाओं को 4 फीसदी सालाना की ब्याज दर पर रियायती ऋण मुहैया कराया जाता है। यह ऋण पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए दिया जाता है।

2. परिवर्धित बाज़ार विकास सहायता (एमएमडीए) योजना– इस योजना का उद्देश्य खादी उत्पादों के लिए बाज़ार में अलग श्रेणी तैयार करना है ताकि उत्पादों की बेहतर कीमत हासिल हो सके; देश–विदेश में प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने या उनका आयोजन करने के लिए मार्केटिंग नेटवर्क मज़बूत हो; गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए बाज़ार में मांग हो और शिल्पकारों को बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रोत्साहन मिले।

3. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना– इसके तहत खादी कारीगरों को आराम से और थकान के बगैर काम की सुविधा देने के लिए पर्याप्त स्थान और बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाता है। केवीआईसी निजी वर्कशेड बनाने के लिए 60,000 रुपये और सामूहिक वर्कशेड के निर्माण के लिए 40,000 रुपये प्रति कारीगर प्रदान करता है।

4. एस एंड टी कार्यक्रम– आयोग इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी उन्नयन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि प्रदान करता है।

बिक्री लगभग साढ़े चार गुना। एफएमसीजी कंपनियाँ तो ग्रामोद्योग कारोबार से ही मात खा गईं, जो 1,10,364 करोड़ रुपये रहा।

कारोबारी कीर्तिमान की बात करें तो ऐसा होना ही था क्योंकि पिछले कई वर्षों से सरकार के तमाम विभाग खादी को बढ़ावा देने में जुटे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री इसके ब्रांड एम्बेसेडर हैं। जब से उन्होंने खादी पहनी और युवाओं से इसे पहनने का आह्वान किया तभी से खादी की लोकप्रियता और कारोबार दिन–दूनी–रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। खादी के लिए उत्साह इसी बात से ज़ाहिर होता है कि सरकारी दावे के मुताबिक नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर में 30 अक्टूबर, 2021 को 1.29 करोड़ रुपये की बिक्री हुई।[2] कपड़ों के किसी एक स्टोर पर एक दिन में एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री अपने आप में आश्चर्यजनक आँकड़े है।

रोज़गार में इज़ाफा

कारोबार और बिक्री में इतना इज़ाफा हुआ है तो रोज़गार बढ़ना स्वाभाविक है। केवीआईसी ने वित्तीय परिणामों की घोषणा के दौरान बताया कि वित्त वर्ष 2021–22 में उसने 8.25 लाख से अधिक लोगों को नया रोज़गार दिया।[3] इसमें प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना का बड़ा हाथ रहा, जिसकी मदद से आयोग ने वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक नई इकाइयां लगाईं (देखें बॉक्स 1)।

खादी तथा ग्रामीण उद्योगों में रोज़गार वृद्धि की बड़ी वजह कोरोना महामारी भी है, जिसके कारण पिछले दो वर्षों में लाखों लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा था। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी थे, जिन्हें आजीविका के अभाव में अपने गाँव लौटना पड़ा। इनमें से काफी लोगों ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत स्वरोज़गार की गतिविधियाँ शुरू कर दीं। उस दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घोषित उपाय भी उनके काम आए और खादी ग्रामोद्योग में रोज़गार पाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई।

खादी का अर्थ चूंकि अब केवल कपड़ा नहीं रह गया है बल्कि ग्रामीण उद्योग भी उससे जुड़ गए हैं और केवीआईसी के कारोबार में उससे कई गुना अधिक योगदान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें साथ मिलाकर ही इस क्षेत्र को देखा जाना चाहिए। इन उद्योगों में सौंदर्य प्रसाधन, साबुन–शैंपू, आयुर्वेदिक दवा, शहद, तेल, चाय, अचार, पापड़, हैंड सैनिटाइज़र, कनफेक्शनरी, फुटवियर, चमड़े के उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और देश–विदेश में लोकप्रियता भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। ये क्षेत्र भी रोज़गार के लाखों मौके दे रहे हैं।

रोज़गार के मामले में हालाँकि बेहद कम मजदूरी जैसी कुछ समस्याएं और चुनौतियां अब भी हैं, जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। उससे पहले खादी ग्रामोद्योग में रोज़गार को सहारा देने के सरकार और आयोग के कदमों पर नज़र डालते हैं। ये कदम इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि पिछले दो वर्षों में काफी समय कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन रहा या बाज़ार बंद रहे। स्वाभाविक है कि ऐसे में मांग ठप्प होने की वजह से खादी ग्रामोद्योग इकाइयों पर भी ख़ासा असर पड़ा होगा। इसके बाद भी रिकॉर्ड कारोबार होने का मतलब यही है कि कुछ ठोस योजनाएं वाकई में कारगर थीं।

सबसे पहले तो कोरोना की आर्थिक रुकावट से निपटने के लिए केवीआईसी ने लॉकडाउन के दौरान खादी मॉस्क और खादी हैंड सैनिटाइज़र बाज़ार में उतारे, जिन्हें लोगों ने ख़ासा पसंद किया। इन दोनों उत्पादों के ज़रिए ही खादी कारीगरों का काम लगातार चलता रहा। चूंकि लोग ख़रीदारी करने निकल नहीं रहे थे, इसलिए आयोग ने अपने ई–पोर्टल की मदद से इनकी बिक्री की। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी इस दौरान लगातार काम दिया गया।

---

2 विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1821521

3 विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1818004

खादी उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के पुरज़ोर प्रयास

खादी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लगातार कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार का भी खादी के विकास पर बहुत ज़ोर है, जिसके कारण इसके संवर्धन की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- खादी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ मिलकर खादी उत्कृष्टता केंद्र खोल रहा है। कार्यक्रम के तहत गांधीनगर, कोलकाता, शिलांग, बेंगलुरु में निफ्ट संस्थान देसी तथा विदेशी बाज़ारों के लिए बेहतरीन गुणवत्ता वाले अलग–अलग उत्पाद डिज़ाइन करने, बनाने एवं उनकी मार्केटिंग करने में खादी केंद्रों की मदद करते हैं।
- खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर देसी प्रदर्शनियां और विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जिनमें खादी संस्थाओं का भी सहयोग रहता है। केवीआईसी विभिन्न योजनाओं के ज़रिए खादी संस्थाओं को वित्तीय मदद दे रहा है, जिसका इस्तेमाल उनके विक्रय केंद्रों या शोरूम को बेहतर बनाने में किया जा रहा हैं। इससे शोरूम बेहतर दिखते हैं और उनकी बिक्री भी बढ़ जाती है।
- केवीआईसी ने 17 देशों में 'खादी ट्रेडमार्क' का पंजीकरण भी करा लिया है, जो इसका निर्यात और विदेश में इसकी बिक्री बढ़ाने के लिहाज़ से बहुत अहम हैं। ये देश जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, मेक्सिको, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात और भूटान हैं। इसके अलावा, खाड़ी देशों समेत दुनिया के सभी प्रमुख देशों में 'खादी' ट्रेडमार्क और 'खादी इंडिया' लोगो (प्रतीक चिन्ह) का पंजीकरण कराने का निर्णय भी लिया गया है।
- इसी तरह केंद्र सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 11 उत्पादों को निर्यात के लिए श्रेणीबद्ध करने के मकसद से एचएस कोड जारी कर दिया है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत केवीआईसी अपनी खादी इकाइयों को आईटीपीओ, फियो, टेक्सप्रोसिल और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में प्रतिभागिता के लिए ले जाता है। ये प्रदर्शनियां खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता दिखाने के लिए अवसर और अच्छा मंच प्रदान करती हैं।

(एमएसएमई राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी)

आयोग और सरकार लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के बारे में तो पहले बात की ही जा चुकी है; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय भी खादी आयोग के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चला रहा है, जो उद्योग के लिए पूंजी की किल्लत और बाज़ार की कमी दूर कर रोज़गार बढ़ाने में सहायक हैं (देखें बॉक्स 2)। इनमें ब्याज सब्सिडी पात्रता, बाज़ार विकास और तकनीकी उन्नयन की योजनाएं प्रमुख हैं।

ज़मीनी स्तर पर भी रोज़गार और कारोबार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग शिल्पकारों को रोज़गार के लिए कई तरह की मदद दे रहा है। मसलन कुम्हारों को बिजली से चलने वाली चाक दी जा रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके। बढ़ई का काम करने वालों को औज़ार के किट दिए जा रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में महिलाओं तथा युवाओं को दोने एवं कागज़ की प्लेट बनाने वाली मशीनें दी जा रही हैं। खादी कातने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर चरखे तो बहुत पहले से बाँटे जा रहे हैं। इसके अलावा, आयोग मधुमक्खी पालन, फल–सब्ज़ी प्रसंस्करण, बेकरी, सिलाई और कशीदाकारी, साबुन निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में भी रोज़गार बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।

निर्यात और नए प्रयोग

उत्पादन, बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की कई योजनाएं जारी हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं।[4] इनमें विभिन्न प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना, ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल करना आदि शामिल हैं, जिनकी मदद से आयोग खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का बाज़ार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनके ज़रिए वह स्थानीय और विदेशी बाज़ारों में अपने उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। यह मार्केटिंग और प्रचार का बेहद किफायती तरीका है, जिसका नतीजा बढ़ते कारोबार और बढ़ते निर्यात के रूप में नज़र भी आ रहा है।

अब वह ज़माना गया, जब केवल गांधीवादी, ग्रामीण या नेता, कार्यकर्ता खादी के कपड़े पहनते थे। आज का युवा खादी को दोनों हाथों से गले लगाने को तैयार है मगर उसे समय के हिसाब से बेहतर कपड़ा, रंग और डिज़ाइन चाहिए। नए डिज़ाइन और उत्पाद आएंगे तो बिक्री बढ़ेगी और बिक्री बढ़ी तो रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। केवीआईसी इस बात को समझता है। इसलिए कुछ वर्ष पहले उसने एक प्रतियोगिता भी आयोजित की थी, जिसमें शीर्ष

4 विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1807595

डिज़ाइनर अपने आधुनिक डिज़ाइन लेकर आए थे। इसके अलावा, खादी का फैशन शो भी आयोजित किया गया, जिसमें नए डिज़ाइन और रंग–रूप वाली खादी की पोशाकें प्रदर्शित की गई थीं।

इसी तरह खादी फुटवियर और खादी प्राकृतिक पेंट भी काफी सफल रहे। स्वदेशी के बढ़ते आकर्षण के बीच इस तरह के नए उत्पाद उतारना ज़रूरी भी है क्योंकि यदि युवाओं को इस उद्योग के साथ जोड़ना है तो महज़ सूत कातने, कपड़ा बुनने और कपड़े सिलकर बेचने से काम नहीं चलेगा। आकांक्षाओं से भरपूर युवा को ऐसे उत्पाद तैयार करने का मौका मिलना चाहिए, जो आजकल चलन में हों और जो बेहतर मार्जिन के साथ ज़्यादा बड़े बाज़ार में पहुंच सकें।

आयोग मधुमक्खी पालन उद्योग यानी 'हनी मिशन' को भी व्यापक और मज़बूत बनाने के प्रयास कर रहा है ताकि सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को मधुमक्खी पालन के आधुनिक तरीके पता चलें, उन्हें दीर्घकालिक रोज़गार मिले और सतत आय के ज़रिए उनका जीवन–स्तर बेहतर हो सके। पिछले कुछ वर्षों में आयोग चमड़े के कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा ज़रूरी औज़ार और मशीनरी मुहैया कराने का काम कर चुका है। साथ ही, कुम्हारों के लिए बिजली से चलने वाली चाक भी लाई गई है।

आयोग ने ई–कॉमर्स में भी अच्छी पहल की है। उसने अपने सभी उत्पाद ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म e-khadiindia.com और khadiindia.gov.in के ज़रिए बेचने शुरू कर दिए हैं।[5] इन पर 3,300 से भी अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं और आयोग उनकी संख्या लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा, आईआईटी, दिल्ली की मदद से आयोग ने बेहद हल्का चरखा विकसित कराया है, जिस पर काम करना आसान होता है और सालाना 30–40 फीसदी अधिक सूत काता जाता है।

चुनौतियाँ बरकरार

इसमें कोई दो राय नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग काफी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। मगर कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं:

1. मांग और आपूर्तिः– सबसे बड़ी चुनौती मांग और आपूर्ति के अंतर की है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी लोगों से खादी पहनने का आह्वान किया था तो आम लोगों विशेष कर युवाओं के उत्साहित होने के साथ ही भारतीय रेल और एयर इंडिया ने भी इसे अपना लिया था। वर्ष 2016 में इन दोनों ने ट्रेन और विमान में खादी के इस्तेमाल की पहल की। वर्ष 2019 में 10 लाख अर्धसैनिक बलों के लिए भी खादी की वर्दी लिए जाने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इन सबके कारण बढ़ी मांग को पूरा करने में यह उद्योग सक्षम नहीं दिख रहा।

खादी का उत्पादन बढ़ाना अब भी चुनौती है। देश में अब भी अधिसंख्य चरखे हाथ से चलते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता बेहद कम होती है। सोलर चरखों के इस्तेमाल से उत्पादन काफी बढ़ सकता है। उद्योग विशेषज्ञ बताते हैं कि हाथ से चलने वाले चरखे पर अगर एक दिन में 25–30 पूनी सूत काता जा सकता है तो सोलर चरखे पर 75 से 90 पूनियाँ तैयार हो सकती हैं। मगर इन चरखों की संख्या अभी बहुत कम है और ये महंगे भी हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री रोज़गार गारंटी योजना के तहत इनके लिए मदद आरंभ की है मगर इसकी गति बढ़ानी होगी अन्यथा कारीगरों को इस बढ़ी मांग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा।

2. पूंजी की किल्लतः भारत में छोटे उद्यम रकम की किल्लत से हमेशा जूझते रहे हैं और ग्रामीण उद्योग तथा खादी भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अलावा महिला रोज़गार पर केंद्रित कुछ योजनाएं और आयोग की योजनाएं इस क्षेत्र के लिए धन मुहैया कराती हैं मगर वह नाकाफी ही साबित होता है। उद्यम लगाने की चाह वाले लोगों को वित्तीय संस्थाओं से आसानी से ऋण नहीं मिलता और सरकारी योजनाओं की या तो उन्हें जानकारी नहीं होती या वे उन पर खरे नहीं उतरते। पहले उद्यमियों को कागज़ों का मोटा पुलिंदा पकड़ा दिया जाता था, जिससे घबराकर वे लौटते ही नहीं थे और अब ऑनलाइन प्रक्रिया में कंप्यूटर की उनकी अज्ञानता आड़े आ जाती है। यह विडंबना है कि बदनाम कंपनियों को भी करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार बैठे बैंक इन उद्यमियों को कुछ लाख रुपये नहीं देते।

3. आर्थिक बदहालीः– आमतौर पर एक ही परिवार सूत कातने से लेकर कपड़ा बुनने और रंगने तक में लगा रहता है। मगर उत्पादन कम होने के कारण बुनकरों को अच्छा मेहनताना भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण बड़ी संख्या में परिवार यह काम छोड़ भी देते हैं। एक प्रमुख अंग्रेज़ी दैनिक में 2019 में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बुनकरों का एक औसत परिवार पूरे दिन काम करके भी 200 रुपये नहीं कमा पाता है यानी खादी बुनने में लगा पूरा परिवार महीने में 6,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा था।[6] खादी उद्योग में 78 फीसदी से अधिक लोग कताई

ग्रामीण इंजीनियरिंग को बढ़ावा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग गाँवों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों तथा अन्य उपकरणों के ग्रामीण स्तर पर उत्पादन को भी खासा बढ़ावा देता है। इस उद्योग के अंतर्गत आमतौर पर पारम्परिक चरखे, तेल घानी, हाथ से कागज़ बनाने की मशीन, बी–बॉक्स, चाक, लकड़ी और स्टील के फर्नीचर, लुहारगिरी, कलात्मक सजावटी सामान, इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि बनाए जाते हैं। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है।

---

5 विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1810407

6 'पोंडुरु खादी लूज़िंग इट्स शीन, वर्कर्स गेटिंग पोल्ट्री वेजेज़'– न्यू इंडियन एक्सप्रेस – 8 अगस्त, 2019; https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2019/aug/08/ponduru-khadi-losing-its-sheen-workers-getting-paltry-wages-2015808.html

स्वीट क्रांति और हनी मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वीट क्रांति' के नारे के बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 'हनी मिशन' के तहत मधुमक्खी पालन पर खासा ज़ोर दे रहा है। भारत में मधुमक्खी पालन आजीविका का बहुत पुराना साधन है। इससे आय तो मिलती ही है, ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। साथ ही, अपने औषधीय गुणों के कारण भी शहद की खपत बहुत होती है। प्रधानमंत्री ने इसे 'मिशन' की तरह इसलिए लेने को कहा है चूंकि यह बेहद कम निवेश वाला उद्यम है और इसे करने वालों को सीधे आर्थिक लाभ मिल जाता है। साथ ही खेती के साथ सहायक गतिविधि के तौर पर इसे करना भी बहुत आसान है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के लिए यह एकदम सटीक है। मधुमक्खी पालने के लिए कच्चे माल पर कुछ निवेश नहीं करना पड़ता और मधुमक्खी संसाधनों के लिए किसी अन्य पशु से टकराव भी नहीं करती। इसका फायदा यह है कि आय अच्छी–खासी हो जाती है। मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाले पराग, रॉयल जेली, शहद का उपयोग खाद्य उद्योग और औषधि उद्योग में हो जाता है और मोम का उपयोग मोमबत्ती इकाइयां, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग तथा पॉलिशिंग उद्योग कर लेता है। इस तरह मधुमक्खी पालन में नहीं के बराबर निवेश पर पक्की आय हो जाती है।

देश में इस उद्योग के लिए सबसे अधिक संभावना पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में है। इस क्षेत्र में अभी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इस समय जंगली शहद इकट्ठा करने वाले बमुश्किल 1,000 करोड़ रुपये का शहद उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए आयोग इसे बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। साथ ही, प्रशिक्षण लेने वालों को सरकार की ओर से मुफ्त 'बी–बॉक्स' भी दिए जा रहे हैं।

करने वाले हैं[7] मगर आजकल भी उन्हें दिन के 150 रुपये मिलना मुश्किल हैं। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक आज भी खादी का कपड़ा तैयार करने वाले परिवार की औसत मासिक आय 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जबकि अकुशल कृषि कामगार भी अकेले 450 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा कमाता है यानी महीने के 13,000 रुपये से अधिक। इतना ही नहीं, ईंट ढोने वाला आम मजदूर भी ग्रामीण या कस्बाई इलाकों में 200 से 500 रुपये रोज़ कमा लेता है। ऐसे में अगर खादी का काम छोड़कर लोग दिहाड़ी मजदूरी करने लगें तो अचरज नहीं होना चाहिए। अगर इस कारण कुशल कारीगर और फिर उनकी नई पीढ़ी खादी को छोड़ने लगी तो कारोबार के बड़े आंकड़ों में खादी की हिस्सेदारी न के बराबर रह जाएगी और सरकार के प्रयासों को भी धक्का पहुँचेगा।

4. बड़ी कम्पनियों से होड़ः– खादी कारीगरों के लिए एक प्रमुख समस्या बड़ी कम्पनियों से होड़ भी है। बड़ी कम्पनियां अक्सर बेहद सस्ते उत्पाद ले आती हैं, जिनके सामने खादी और ग्रामीण उद्योगों का टिकना मुश्किल हो जाता है। कम आय वाला व्यक्ति अक्सर गुणवत्ता के बजाय कीमत पर ध्यान देता है और खादी स्टोर से दूर हो जाता है। इसी तरह बड़े रिटेल स्टोर स्थानीय स्तर पर पापड़, वड़ी, अचार जैसा सामान बनवाकर अपने लेबल से उतार देते हैं। बेशक वह सामान बहुत सस्ता नहीं होता मगर महीने का राशन ख़रीदने गया व्यक्ति उन्हें भी साथ में ले जाता है और ग्रामोद्योग एक ग्राहक को गंवा देता है। साथ ही चीनी डंपिंग की भी समस्या है। चीन कैंची, कील, छोटे औज़ार, चाकू आदि भी कम दाम पर भारत भेजने लगा है और इनका निर्माण करने वाले कारीगरों से काम छिनने लगा है।

5. जीएसटी का असरः– खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को हमेशा से ही कर से मुक्ति मिलती रही है। चूंकि यह दस्तकारों द्वारा बहुत कम लागत पर तैयार होने वाली सामग्री है, इसलिए इस पर कर लगाने से बचा जा सकता था लेकिन नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली आने के बाद सरकार ने खादी संस्थाओं को भी जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया है। खादी के विभिन्न उत्पादों पर अभी जीएसटी की दर 5 फीसदी है। केवीआईसी के तहत बनने वाले ग्रामोद्योग उत्पादों पर 12 से 28 फीसदी तक जीएसटी लग रहा है। खादी बहुत अरसे तक निचले तबके का परिधान रही है, जिसके लिए दाम में मामूली इज़ाफा भी भारी पड़ जाता है। इसलिए कम से कम सामान्य खादी से बनी पोशाकों को कर मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि बिक्री को और बढ़ावा मिले।

6. नकली खादीः खादी उस कपड़े को ही कहते हैं, जो हाथ से काता और बुना गया हो। चाहे सूती खादी हो, सिल्क की खादी हो या किसी अन्य प्रकार की हो, वह हाथ से तैयार होने पर ही 'खादी' कहलाती है। पिछले कुछ समय से कई कंपनियों ने खादी के रंग–रूप का मशीन से तैयार कपड़ा भी खादी के नाम से बाज़ार में पेश कर दिया है। जो खादी की इन बुनियादी बातों को नहीं जानते हैं, वे मशीन से तैयार कपड़े को ही खादी समझकर ले जाते हैं, जिसका असर असली खादी की बिक्री पर पड़ता है। हालांकि केवीआईसी ने कुछ अरसा पहले 'खादी' ब्रांड नाम के बारे में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं मगर इनके उल्लंघन पर जुर्माने जैसा प्रावधान भी होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेलः rishabhakrishna@gmail.com

7 'खादी आर्टिसंस स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक इमैन्सिपेशन' – हिंदुस्तान टाइम्स – 27 जून, 2022; https://www.hindustantimes.com/ht-insight/economy/khadi-artisans-struggle-for-economic-emancipation-101656173634507.html

कृषि कारोबार के बढ़ते अवसर

–भुवन भास्कर

कृषि कारोबार में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए पिछले एक दशक में सैकड़ों युवाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं, जिन्हें एग्री स्टार्टअप कहते हैं। चालू साल की सिर्फ पहली छमाही में ही अब तक एग्री स्टार्टअप्स को 53.9 करोड़ डॉलर की रकम मिल चुकी है। इन आँकड़ों से साफ है कि भारतीय एग्री स्टार्टअप में पूरी दुनिया के निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारत में कृषि कारोबार आने वाले दिनों में एक विशाल सेक्टर के रूप में उभरने जा रहा है।

भारत में कृषि का वह रूप जिसमें बादलों की ओर ताकते किसान का साथी सिर्फ दो जोड़ी बैल हुआ करते थे, अब अतीत बन चुका है। कृषि ने आधुनिकता की यात्रा में एक लंबा सफर तय कर लिया है और यह यात्रा जारी है। बुवाई के लिए समय से लेकर फसलों का चयन करने तक में किसान अब सिर्फ मौसम विभाग के अनुमानों पर आश्रित नहीं हैं, और न ही वह अपनी फसलों को बेचने के लिए सिर्फ साहूकारों का मुँह जोहता है। पिछले दो दशकों में कृषि का स्वरूप बहुत तेज़ी से बदला है और तकनीक सहित कई ऐसे तत्व हैं, जिनकी भूमिका फसल चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसमें विशेष बात यह है कि इन तत्वों को कृषि में समाहित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ के क्षेत्र में एक विशाल बुनियादी ढांचा खड़ा हो चुका है, जिसने बड़े पैमाने पर उद्यमियों के लिए अवसर तैयार किए हैं। ये ढांचा और ये अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपये के नेटवर्थ के साथ लाखों रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं। कृषि से संबद्ध और उस पर आश्रित कारोबारी अवसरों को कृषि कारोबार या *एग्री बिज़नेस* के रूप में जाना जाता है।

कृषि कारोबार में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए पिछले एक दशक में सैकड़ों युवाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं, जिन्हें एग्री स्टार्टअप कहते हैं। एनट्रैकर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 से जून 2022 तक में भारत के करीब 100 एग्री स्टार्टअप्स ने 139 सौदों के माध्यम से 133 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इनमें से 15.5 करोड़ डॉलर 2020 में जुटाए गए, 63.6 करोड़ डॉलर 2021 में जुटाए गए, जबकि चालू साल की सिर्फ *पहली छमाही में ही अब तक एग्री स्टार्टअप्स को 53.9 करोड़ डॉलर की रकम मिल चुकी है। इन आँकड़ों से साफ है कि भारतीय एग्री*

स्टार्टअप में पूरी दुनिया के निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारत में कृषि कारोबार आने वाले दिनों में एक विशाल सेक्टर के रूप में उभरने जा रहा है।

इसका विस्तार इतना व्यापक हो चुका है कि पूरी तरह समझने के लिए इसे श्रेणियों में बाँट कर देखना आवश्यक है। कृषि की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के आधार पर खड़े हुए इस विशाल कृषि कारोबार की दुनिया को, समय के लिहाज से, मोटे तौर पर तीन विभागों में बाँटा जा सकता हैः

1. बुवाई से पहलेः किसान के लिए बुवाई से पहले तीन बड़े सवाल होते हैं। एक तो यह कि बुवाई किस समय शुरू की जाए; दूसरा, कौन–सी फसल की बुवाई की जाए या कहें कि खेतों में फसलों की हिस्सेदारी कैसे तय की जाए और तीसरा, सही कीमत पर अच्छे बीज कहां से हासिल किया जाए।

2. बुवाई के बाद और कटाई से पहलेः इस दौरान मुख्य तौर पर किसानों की आवश्यकता फसलों के पोषण से संबंधित होती हैं। खाद और दवाएं कब दी जाएं, किस मात्रा में दी जाएं और कौन–सी दी जाएं। इसके साथ ही क्योंकि यही वो दौर होता है जब सबसे ज़्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो किसान की कुल लागत का सबसे बड़ा हिस्सा भी इस चरण में खर्च होता है, जिसे कम करना एक अहम सवाल होता है।

3. कटाई के बाद (मार्केटिंग)ः यह किसान के लिए अपनी मेहनत का फल पाने का समय होता है। इसमें किसान के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाज़ार का होता है। अपनी फसल कहां बेची जाए, तो सही कीमत मिले? इस एक प्रश्न में कई बड़े प्रश्न निहित होते हैं, और उन सब में *एग्री बिज़नेस* के विशाल अवसर मौजूद हैं।

बुवाई से पहले कृषि कारोबार

भारत में किसान के लिए बारिश का अनुमान अब भी एक पहेली बना हुआ है और इस क्षेत्र में ज़्यादातर सेवाएं और सुविधाएं जो उपलब्ध हैं, वे या तो सरकारी हैं या फिर एक्सटेंशन सर्विसिज़ यानी कृषि सलाह सेवा के अंतर्गत आती हैं। दूसरे शब्दों में, इसे अब तक कारोबार के अवसर में नहीं बदला जा सका है। यही स्थिति बुवाई के लिए फसलों के चुनाव में भी है। ज़्यादातर कंपनियां जो प्री–हार्वेस्ट कारोबार में हैं, वे किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए मुफ्त सेवा के तौर पर यह सलाह देती हैं। यह बहुत हद तक बारिश की स्थिति पर भी निर्भर करता है, जैसे राजस्थान के किसान बारिश अच्छी होने की स्थिति में मोठ, मूंग जैसी फसलें लगाते हैं, लेकिन यदि बारिश कम हो तो ग्वार की बुवाई कर लेते हैं। पारम्परिक खेती में आमतौर पर किसानों को यह पता होता है कि कितनी बारिश में उन्हें कौन–सी फसल लगानी है।

इस चरण में जो तीसरा प्रश्न किसानों के सामने होता है, यानी उचित कीमत में सही बीज–वह कृषि कारोबार के तौर पर एक विशाल बाज़ार बन चुका है। कुछ वर्षों पहले तक किसानों के सामने बीज की चुनौती बड़ी होती थी। इसके बावजूद कि अरबों डॉलर नेटवर्थ वाली बहुराष्ट्रीय बीज कम्पनियां दशकों से भारतीय बाज़ारों पर कब्जा किए बैठी हैं, किसानों के पास उन बीजों की क्षमता जानने का साधन बहुत सीमित था। अमूमन कही–सुनी के आधार पर, दुकानदार की सलाह पर या फिर अपने पड़ोसी किसान की राय पर वह ब्रांड चुनता था। इसमें एक बड़ा फैक्टर उपलब्धता का था। किसान के पास के बाज़ार में जो भी बीज उपलब्ध हैं, वही उसे इस्तेमाल करना होता था। लेकिन अभी कई कम्पनियां किसानों को घर बैठे बीज उपलब्ध कराने लगी हैं। ये कम्पनियां अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ज़रिए किसानों को दर्जनों विकल्प उपलब्ध कराती हैं। किसानों की सुविधा के लिए बीजों को कई श्रेणियों में बाँटा जाता है, जिनमें मूल्य, ब्रांड, आकार, प्रोडक्ट टाइप इत्यादि प्रमुख हैं। किसान ऑनलाइन ऑर्डर कर अपने घरों पर ही इनकी डिलीवरी पा सकते हैं।

> पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार का फोकस प्राकृतिक और जैविक खेती पर बढ़ रहा है। जैव खादों और जैव कीटनाशकों का बाज़ार अभी बहुत सीमित है, जबकि आने वाले दिनों में इनकी मांग में हज़ारों प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। ज़ाहिर है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कृषि कारोबार की असीम संभावनाएं हैं।

बुवाई के बाद और कटाई से पहले

यह किसान के लिए फसल उत्पादन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में किसान की आवश्यकताएं कई होती हैं और इनमें से हर एक आवश्यकता एक विस्तृत कृषि कारोबार के तौर पर उभरी हैः

इनपुट सप्लाईः किसी भी फसल की खेती में बीज के अलावा मुख्यतः दो इनपुट होते हैं – खाद और कीटनाशक। इन दोनों की आवश्यकता किसान को बुवाई के ठीक बाद से लेकर हार्वेस्टिंग के ठीक पहले तक पड़ती है। साल 2020 तक भारत में कीटनाशकों का बाज़ार 23,200 करोड़ रुपये का था। बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस सेक्टर में हैं। लेकिन हाल के दिनों में छोटी–छोटी कम्पनियों के इसमें उतरने से इनपुट सप्लाई एग्री बिज़नेस का एक अनूठा और विशाल बाज़ार बन गया है। ये छोटी–छोटी कम्पनियां एग्री स्टार्टअप के रूप में बीजों की ही तरह खाद और कीटनाशकों को भी किसानों तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये अवसर यहीं खत्म नहीं होते। खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल में किसानों को बहुत समय और बहुत श्रमिकों की ज़रूरत होती है, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ता है। श्रमिकों की संख्या कम करने में तकनीक की भूमिका बहुत अहम है और यहीं कृषि तकनीक और मशीनीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये दोनों ही महंगे साधन हैं और कृषि कारोबार के लिहाज से मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

स्मार्ट एग्रीकल्चरः सिंचाई के लिए कई तकनीक बाज़ार में हैं, जिनका महत्व भू–जल स्तर के नीचे जाने के साथ बढ़ता जा रहा है। इनमें टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर इत्यादि शामिल हैं। खाद

ड्रोन तकनीक

ड्रोन तकनीक सबसे आधुनिक तकनीक है, जो एक विशाल कारोबारी अवसर के रूप में सामने आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी साल 19 फरवरी को किसान ड्रोन यात्रा के माध्यम से कृषि क्षेत्र में इस तकनीक के इस्तेमाल को बड़ा प्रोत्साहन दिया। प्रधानमंत्री ने झंडा दिखा कर देश की 100 जगहों पर एक साथ ड्रोन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य किसानों में ड्रोन के इस्तेमाल की जागरूकता पैदा करना था। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक कृषि में ड्रोन का वैश्विक बाज़ार 2025 तक 35.9 प्रतिशत की दर से बढ़कर 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत में भी इसके ज़बर्दस्त गति से बढ़ने की संभावना है, जिसे भांप कर 200 से ज़्यादा कम्पनियां ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आ गई हैं। ये ड्रोन अत्यंत उपयोगी हैं और महज 6 मिनटों में एक एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की ड्रोन यात्रा के तुरंत बाद सरकार ने ड्रोन की खरीद के लिए एक विस्तृत सब्सिडी योजना भी घोषित की है। इसके तहत कृषि संस्थानों, जैसे फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए उसकी कीमत का 100 प्रतिशत या

10 लाख रुपये में से जो भी कम हो, वह सब्सिडी दी जाएगी। किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) के लिए यह सब्सिडी 75 प्रतिशत होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्तियों, छोटे और सीमांत तथा महिला किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ड्रोन खरीदने पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रहा है, जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं कस्टम हायरिंग सेक्टर से किराए पर ड्रोन लेने में सहायता करने के लिए सरकार 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक आपातकालीन फंड भी तैयार करेगी।

और कीटनाशकों के उपयोग के साथ सिंचाई को जोड़ने से स्मार्ट एग्रीकल्चर का जन्म होता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर पूरी तरह एआई आधारित खेती है, जिसमें किसान पंप को पानी के स्रोत से जोड़ देता है और समय के हिसाब से कम्प्यूटर प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है। दिन के तय समय में अपने आप वह पंप चालू होकर नियत मात्रा में पानी फसलों पर छोड़ देता है। इतना ही नहीं, खाद और कीटनाशकों की नियत मात्रा भी पंप के स्थान पर ही अपने आप पानी में मिल जाती है। इससे खाद और कीटनाशक की सटीक मात्रा का इस्तेमाल होता है और साथ ही, मिट्टी और भूजल के प्रदूषण में भी कमी आती है। स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम तैयार करना एक बेहतरीन कृषि कारोबार है, जिसमें कई कम्पनियां 360 डिग्री सॉल्यूशन देती हैं।

सेटेलाइट मैपिंगः बुवाई के बाद किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती यह पता करने की होती है कि कब कौन से खाद का इस्तेमाल करना है या कितना खाद इस्तेमाल करना है, कब और कितना पानी देना है। ये ऐसी सूचनाएं हैं जिनके साथ किसान न सिर्फ अपनी लागत में कमी कर सकता है, बल्कि उत्पादन में भी बड़ी बढ़त दर्ज कर सकता है। यह भी अपने आप में एक बड़ा कृषि कारोबार है, जिसके लिए कई कम्पनियां किसानों को सेवाएं देती हैं। इसमें कम्पनी किसानों के खेतों की चौहद्दी को सेटेलाइट से मैप करती हैं और फिर दूर अपने मुख्यालय से बैठकर ऐसे हर खेत की निगरानी की जाती है। खेतों की मिट्टी से निकलने वाली उष्मा और गैस का विश्लेषण कर वैज्ञानिक यह पता लगा लेते हैं कि मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया इत्यादि की मात्रा कितनी है, कितनी नमी है और इस तरह वे रियल टाइम में किसानों को ज़रूरी पोषक तत्वों की सलाह दे पाते हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटरः देश में 86 प्रतिशत किसानों के पास ढाई एकड़ या उससे भी कम ज़मीन है। ऐसे में जब बात खेतों में ट्रैक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, बीज रोपने वाली, खरपतवार निकालने वाली इत्यादि मशीनों के इस्तेमाल की आती है, तो उनके लिए ये मशीनें खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) एक बढ़ता कारोबार है। इसमें कोई एक कम्पनी सारी बड़ी मशीनें खरीदती है और उन्हें सीएचसी में रखती है। किसान घंटे के हिसाब से उन मशीनों को किराए पर लेते हैं।

कटाई के बाद कृषि कारोबार

देश में लाखों टन कृषि उपज पैदा होती है। उसे खेतों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए कई चरणों से गुज़रना होता है और हर चरण में कृषि कारोबार के लिए मौके पैदा होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमूमन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार 8 प्रतिशत से ज़्यादा उपज की खरीदारी नहीं कर पाती। यानी बाकी का पूरा माल निजी व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, प्रोसेसरों और रिटेलरों से होता हुआ उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। लेकिन

इसमें जो सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण है, वह है किसानों द्वारा की जाने वाली एग्री मार्केटिंग यानी कृषि उपज की बिक्री। जब किसी भी फसल के लिए हार्वेस्टिंग का समय होता है, उस समय मंडियों में सबसे ज़्यादा आवक होती है। स्वाभाविक रूप से वही समय होता है, जब उस खास उपज की कीमत सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। हर किसान यह जानता है कि 3–4 महीनों में उसकी उपज की कीमत फिर बढ़ेगी, लेकिन उसके पास फसल को रोकने की क्षमता नहीं होती। इसके दो कारण होते हैं, पहला कि उसने फसल की लागत को पूरा करने और घर के दूसरे कामों के लिए साहूकार से या आढ़तिए से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज़ लिया होता है, जिसे उसे चुकाना होता है और दूसरा कि वह फसल को रखने का खर्च और जोखिम उठाना नहीं चाहता।

यहां किसान की आवश्यकताएं तीन हैं– अपनी उपज की सही कीमत हासिल करना, उपज को रखने के लिए उचित मूल्य पर सही व्यवस्था और फौरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर फाइनेंसिंग (वित्तपोषण)। ये तीनों ही आवश्यकताएं कृषि कारोबार के बड़े मौके तैयार करती हैं।

क्लिनिंग और ग्रेडिंगः किसान अपनी उपज को खेत से निकालने के बाद मंडी ले जाता है। जो मज़बूत किसान होते हैं या जहां किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) काम कर रहा होता है, वहां मंडियों के अलावा कई बार किसान सीधे प्रोसेसर या मिलर तक अपनी फसल ले जाते हैं। किसानों के पास तीसरा विकल्प बड़ी कम्पनियों, जैसे आईटीसी, अडाणी, रिलायंस फ्रेश के साथ जुड़ने का भी होता है। और इन सबके अलावा, एफपीओ से जुड़े किसान वायदा बाज़ार का इस्तेमाल कर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। वायदा बाज़ार पर बेचने के लिए उपज की गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है और उसे कुछ तय मानकों पर पास होना ही होता है। लेकिन बाकी तीनों विकल्पों में भी उपज की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी आधार पर उपज की कीमत तय होती है। अध्ययनों से प्रमाणित होता है कि किसान यदि खरीदार के पास ले जाने से पहले उपज की सफाई और ग्रेडिंग कर ले तो उसकी आमदनी में 20–40 प्रतिशत तक की वृद्धि आसानी से हो सकती है। लेकिन क्योंकि छोटे किसानों के पास महंगी क्लिनिंग और ग्रेडिंग मशीनें नहीं होती हैं, यहीं कृषि कारोबार का अवसर खड़ा होता है। इस पूरी ईकाई को लगाने में 12 लाख रुपये के आसपास का खर्च आता है, जबकि प्रति किलो 1 रुपये/1.50 रुपये तक के शुल्क पर कारोबारी किसानों को क्लिनिंग एवं ग्रेडिंग की सुविधा देते हैं।

वेयरहाउसिंगः किसी भी फसल का उत्पादन दो महीनों के दौरान होता है, लेकिन उसकी आपूर्ति 12 महीने आवश्यक होती है। यदि वेयरहाउसिंग की व्यवस्था सही न हो, तो उत्पादन का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है और कृषि उत्पादों की महंगाई बढ़ने लगती है। इसलिए वेयरहाउस देश की कृषि अर्थव्यवस्था का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। देश में 2019 तक 9.1 करोड़ टन की कृषि वेयरहाउसिंग क्षमता थी, जिसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। शेष क्षमता भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य वेयरहाउसिंग निगम (एसडब्ल्यूसी), राज्य की एजेंसियों और को–ऑपरेटिव की थी। वर्ष 2020–21 के दौरान देश में कुल 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। यानी देश की कुल कृषि वेयरहाउसिंग क्षमता उत्पादन के लिहाज से एक–तिहाई है। 2019 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक कृषि वेयरहाउसिंग का बाज़ार 145.82 अरब रुपये था, जिसके 2024 तक 365.75 अरब रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

देश में इस समय कई वेयरहाउस सेवा प्रदाता कम्पनियां हैं जो एक निश्चित किराए पर किसानों, एफपीओ, प्रोसेसर इत्यादि का माल रखती हैं। इनमें से लगभग 1900 वेयरहाउस डब्ल्यूडीआरए (वेयरहाउसिंग विकास एवं नियमन प्राधिकरण) से मान्यता प्राप्त हैं, जिनकी सम्मिलित क्षमता 1.055 करोड़ टन है। वायदा बाज़ार में होने वाले कारोबार के लिए जो कृषि उपज इस्तेमाल की जाती है, उसे डब्ल्यूडीआरए से मान्यताप्राप्त वेयरहाउस में रखना अनिवार्य होता है। छोटे–छोटे स्तरों पर तय मानकों के मुताबिक अच्छे वेयरहाउस बनाकर किसानों और एफपीओ की मदद करने के साथ अच्छी कमाई की जा सकती है।

फाइनेंसिंगः किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय पर कर्ज़ की सुविधा। वैसे तो सरकार ने कई योजनाओं के ज़रिए किसानों को कर्ज़ देने की व्यवस्था की है, लेकिन बैंकों और अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए कम्प्लायंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है कि व्यावहारिक रूप से किसानों और एफपीओ को कर्ज़ मिलने में बहुत समय लगता है। इसलिए इस क्षेत्र में निजी कम्पनियां और उद्यमियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। माइक्रोफाइनेंस कम्पनियां अमूमन 16–22 प्रतिशत सालाना पर किसानों और एफपीओ को कर्ज़ देती हैं। क्योंकि इस कर्ज़ का औसत टिकट साइज़ 10,000 रुपये तक होता है, इसलिए इसको मैनेज करना आसान होता है और इसके डूबने (एनपीए) की आशंका नहीं के बराबर होती है।

डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में जो कृषि उपज जमा होती है, उसके लिए जमाकर्ता को ईएनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट) जारी किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ईएनडब्ल्यूआर के आधार पर वेयरहाउस में जमा उपज की बाज़ार कीमत के 70 प्रतिशत तक फाइनेंसिंग हो सकती है। कृषि के अलावा सहायक क्षेत्रों में भी कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। मछली पालन, झींगा पालन, डेयरी, पोल्ट्री इत्यादि हर क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में कृषि के मुकाबले दो गुनी गति से वृद्धि दर्ज कर रहा है और इन सबमें चारे से लेकर उनकी मार्केटिंग तक में कारोबार के अवसर मौजूद हैं।

(लेखक कॉरपोरेट क्षेत्र से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेलः bhaskarbhawan@gmail.com

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसका उत्पादन वर्ष 2025–26 तक 535 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। कोरोना माहमारी के बावजूद देश पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा वितरण की कुशल एवं एकीकृत प्रणालियों को विकसित करने तथा अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे देश की परिवर्तित होती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

आज भारत *'खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा'* की ओर बढ़ रहा है। कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से वर्तमान में हमारा देश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। परिणामस्वरूप देश खाद्य फसलों का निर्यात करने में भी सक्षम हुआ है। साथ ही, व्यापार घाटे को कम करने हेतु विभिन्न देशों से आयात को भी कम करने पर विचार करने की ज़रूरत है।

कृषि वैज्ञानिकों के शोध और नवाचार के फलस्वरूप देश खाद्यान्न, फल व सब्जी उत्पादन और दूध व दुग्ध पदार्थो के क्षेत्र में निरंतर उन्नति कर रहा है जिसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों के परिश्रम एवं लगन को दिया जा सकता है। आज भारत की पहचान एक 'आयातक' देश से 'निर्यातक' देश की बन गई है। दुनियाभर में फलों व सब्ज़ियों के उत्पादन में देश की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए हमें विश्व की सबसे अच्छी तकनीक और पद्धतियों को अपनाने की ज़रूरत है। खेती में संतुलन बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने, नई–नई तकनीकों का उपयोग करने के साथ छोटे व सीमांत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की ओर आकर्षित करने से भी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण का मौजूदा स्तर 10 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने की नितांत ज़रूरत है ताकि किसानों की आय बढायी जा सके। बदलते परिवेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 'भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन' कहा जा सकता है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसका बाज़ार वर्ष 2025–26 तक 535 अरब डॉलर तक पंहुचने

की उम्मीद है। कोरोना माहमारी के बावजूद देश पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा वितरण की कुशल एवं एकीकृत प्रणालियों को विकसित करने तथा अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे देश की परिवर्तित होती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत वैश्विक स्तर पर मसालों, दालों, दूध, चाय, काजू, आम, केला और जूट का सबसे बडा उत्पादक है। साथ ही गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों, गन्ना, कपास और तिलहन का दूसरा सबसे बडा उत्पादक है। मसालों की पैदावार गत सात वर्षों में 60 प्रतिशत से अधिक बढ़कर एक करोड़ टन के पार पहुँच गई है। आज देश में अनाज, फल व सब्ज़ी और दूध का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद इन खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव एक गम्भीर चिंता का विषय है क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने वाले होते हैं। इन्हें लम्बे समय तक सुरक्षित नही रखा जा सकता है। उत्पादन की तुलना में देश में शीतभंडारों एवं वेयरहाउसों की संख्या एवं उनकी क्षमता भी अपर्याप्त है।

खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत खाद्य पदार्थों की बर्बादी छोटे किसानों के पास ही हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इस खाद्य अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे देश के संसाधनों मुख्यतः भूमि, जल और ऊर्जा पर पड़ रहा है। इसके अलावा, कोरोना माहमारी के कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बडी चुनौती गुणवत्तापूर्ण रोज़गार पैदा करने की है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजन करने, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, और खाद्य पदार्थो की बर्बादी रोकने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

खाद्य प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारतीय कृषि उत्पादों का लगभग 10वां हिस्सा ही संसाधित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का लक्ष्य इसे वर्तमान स्तर से तीन गुना करने का है। प्रोसेसिंग, भंडारण और कई क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं की कमी के कारण देश में अब भी हर साल हज़ारों करोड़ रुपये मूल्य के फल व सब्जियां बर्बाद हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार फलों व सब्ज़ियों की यह बर्बादी कुल उत्पादन के करीब 50 प्रतिशत तक हो जाती है। इससे किसानों और उपभोक्ताओं के साथ ही देश को भी खासा नुकसान होता है। इसके अलावा, देश में पैदावार के स्तर पर ही लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है जिसका प्रमुख कारण खराब सड़कें, पैकेजिंग व भंडारण की अनुपलब्धता जैसी तकनीकी समस्याएं हैं।

हमारे देश मे खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। भारत दुनिया में फलों–सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन हम मात्र तीन प्रतिशत प्रसंस्करण ही कर पाते हैं। दुनिया के प्रसंस्करण खाद्य बाज़ार में हमारी हिस्सेदारी मात्र एक से 1.5 प्रतिशत है। कारण यह है कि हमारे देश में फल–सब्जियों का औद्योगिकीकरण आज तक नहीं हुआ है। हमारे देश में हर वर्ष 50 हज़ार करोड़ रुपये की फल–सब्ज़ियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इससे छोटे व सीमांत किसान अधिक प्रभावित होते हैं।

इसी तरह, दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। परंतु प्रसंस्करण मात्र 15 प्रतिशत ही हो पाता है। हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा मुख्यतः महिलाओं और बच्चों का भोजन अभी भी संतुलित और पौष्टिक नहीं है। इसी कारण काफी लोग कुपोषण से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस तरह सब्जियां व फल भुखमरी कम करने तथा आमदनी बढ़ाकर गरीबी दूर करने में भी बहुत सहायक है। भोजन की समस्या के समाधान भी हेतु हमें खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संर्वधन पर ज़ोर देना होगा।

सरकारी पहल और योजनाएं

केंद्रीय बजट 2022–23 में फसलों के मूल्य संवर्धन पर ज़ोर देने की बात कही गई है। ऐसा होने से किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि से जुडे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की मदद से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुडे छोटे उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उनमें दुनिया के बाज़ारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मज़बूत भागीदार बनें। इसके लिए गोदामों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रीजरेटर वैन, समय पर ऋण और बाज़ार उपलब्ध कराने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। इनोवेशन और स्टार्टअप्स गाँव–गाँव पहुंचने से छोटे किसानों का कल्याण होगा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बडा सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित सरकारी पहल और प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

पीएमएफएमई

प्रधानमंत्री फार्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज़ योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के

हमारे देश मे खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। भारत दुनिया में फलों–सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन हम मात्र तीन प्रतिशत प्रसंस्करण ही कर पाते हैं। दुनिया के प्रसंस्करण खाद्य बाज़ार में हमारी हिस्सेदारी मात्र एक से 1.5 प्रतिशत है। कारण यह है कि हमारे देश में फल–सब्जियों का औद्योगिकीकरण आज तक नहीं हुआ है।

लिए एवं 35 प्रतिशत अनुदान के साथ बैंक ऋण पाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ज़िले के ओडीओपी उत्पाद के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से ऋण एवं सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अलावा, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम) की शुरुआत की है। केंद्रीय केबिनेट ने इस उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह योजना वित्त वर्ष 2021–22 से लेकर 2026–27 तक यानी 6 वर्षों के लिए जारी रहेगी। इसके तहत 12–13 सेक्टरों को पीएलआई मिलने वाला है। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित व लाभकारी मूल्य मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। कोराना सकंट के दौरान उत्पादन बढ़ाने वाले अन्नदाताओं के लिए यह एक उपयुक्त प्रोत्साहन है। गौरतलब है कि पीएलआई के तहत प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष में 2.4 लाख करोड रुपये का इन्सेंटिव दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 14वें वित आयोग के चक्र 2016–20 की अवधि के लिए 6000 करोड रुपये का आवंटन *प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना* के लिए किया। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना, डेयरी व मत्स्य आदि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सरकार *प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना* के अंतर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

देश के अनेक क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण किसान मछली पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इस संभावना को देखते हुए *प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना* की शुरुआत की गई है। परंतु इसका फायदा केवल मछली उत्पादकों तक सीमित न रहे, इसके लिए मत्स्य उद्यम को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य उद्योग से संबधित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। साथ ही, पहले से उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मछली पकड़ने के बाद प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि इससे संबंधित वैल्यू चेन विकसित हो सके।

> सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए देश भर में मेगा फूड पार्क्स का नेटवर्क बिछाने का फैसला किया है। इस कोशिश का उद्देश्य किसान की फसल को आसपास के फूड पार्क में बेचने का मौका और उसे बेहतर दाम दिलाना है। इन पार्क्स में खाद्य पदार्थों के भंडारण के साथ ही प्रोसेसिंग की भी सुविधा होगी। इससे जल्द खराब होने वाली फसलों की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।

मेगा फूड पार्क्स की स्थापना

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए देश भर में मेगा फूड पार्क्स का नेटवर्क बिछाने का फैसला किया है। इस कोशिश का उद्देश्य किसान की फसल को आसपास के फूड पार्क में बेचने का मौका और उसे बेहतर दाम दिलाना है। इन पार्क्स में खाद्य पदार्थों के भंडारण के साथ ही प्रोसेसिंग की भी सुविधा होगी। इससे जल्द खराब होने वाली फसलों की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। अभी देश में करीब 50 हज़ार करोड रुपये मूल्य की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इनमें फलों और सब्ज़ियों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही, इनसे हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा और हज़ारो किसानों को लाभ होगा। अब तक इस तरह के 23 फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे 20 पार्क्स की स्थापना और की जाएगी। भविष्य में मांग के हिसाब से इनका और विस्तार किया जाएगा। सरकार चाहती है कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले और फसल का एक भी दाना खराब न हो। इस तरह के पार्क्स से देश से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2021–22 में किसानों के लाभार्थ में *ऑपरेशन ग्रीन* स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों मुख्यतः फल और सब्जियों को शामिल किया गया है। *ऑपरेशन ग्रीन* के तहत फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। देश में इस समय 16.2 करोड टन की कृषि भंडारण व कोल्ड स्टोरेज क्षमता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में *अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष* के रूप में मनाया जाएगा जो हमारे लिए गर्व का विषय है। बदलते परिवेश में ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज यानी मिलेट आज के दौर के सूपरफूड हैं। गत कई

वर्षो से इन अनाजों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। कोदो–कुटकी एवं रागी जैसे मोटे अनाज उत्पादों का प्रसंस्करण कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज व सीड बैंक की स्थापना में मदद के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद की मदद ली जा रही है। मोटे अनाजों की खरीद व आदान सहायता देने के साथ प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की पहल, मिलेट के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही हैं। इससे किसानों, महिला समूहों और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलेगा।

खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पाद

जब उत्पादन अधिक हो तो बाज़ार में अनाज, फल और सब्ज़ियों के दाम कम हो जाते हैं। ऐसी दशा में अनाजों, फलों और सब्ज़ियों से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर लेने चाहिए। खाद्यान्न, फल और सब्ज़ियों से कई मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इन मूल्यवर्धित उत्पादों की बाज़ार में अच्छी मांग है। साथ ही, इनका मूल्य भी अधिक मिलता है एवं बेमौसम में इनका भरपूर आंनद उठाया जा सकता है। आज भी किसानों की कृषि से होने वाली आय संतोषजनक नही है। इसके लिए फसलों की कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी का विकास कर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना होगा। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कृषि उत्पादों का रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा उनका मूल्यवर्धन किया जाता है जिससे उनकी भंडारण अवधि में वृद्धि और परिवहन के दौरान कम से कम क्षति होती है। साथ ही, उनको तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है। प्रसंस्करण और मूल्य संर्वधन के ज़रिए करीब 20 फीसदी खाद्यान्न को बचाया जा सकता है। साथ ही, किसानों की उपज की पैकेजिंग और ग्रेडिंग बढ़ाकर उन्हें अधिक मुनाफा दिलाया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लाभ

- बेमौसम में खाद्य प्रसंस्कृत एवं मूल्यवर्धित खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है।
- खाद्य पदार्थों की भंडारण अवधि व किसानों की आय बढ़ाना।
- दूरस्थ एवं दुर्लभ स्थानों पर खाद्य पदार्थों को भेजा जा सकता है जहां ये पैदा नहीं होते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रसंस्कृत एवं मूल्यवर्धित खाद्य पदार्थों को डिब्बा में बंद पैकिंग करके भेजा जा सकता है।
- खाद्य पदार्थो की बर्बादी होने से बचाया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।
- वर्ष भर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मिलते रहते हैं।
- निर्यात आय को बढ़ावा देना।

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन

प्रायः देखा गया है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, उन्हें छोड़कर बाकी फसलों के दाम बिल्कुल अनिश्चित रहते हैं। जिस साल फसल ज़्यादा होती है, उस साल कीमतें गिर जाती हैं। जब कीमतें गिरती हैं तब किसान अगले साल उस फसल को कम उगाते हैं, और फिर बाज़ार में उत्पाद कम होने से दाम बढ़ जाते हैं। हर दो–चार वर्षों में यह चक्र पूरा हो जाता है। इस संदर्भ में देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को फसलों के मूल्य में आने वाले उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस स्थिति में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मूल्यवृद्धि के माध्यम से किसानों को उनके परिश्रम की बेहतर कीमतें प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

सोयाबीन प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन

प्रोटीन और तेल की अधिक मात्रा होने के कारण सोयाबीन विभिन्न प्रकार के घरेलू और औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। गेहूँ अथवा मक्के के आटे के साथ सोयाबीन का आटा मिलाकर खाने से उनकी पौष्टिकता एवं खाद्य गुणों में वृद्धि हो जाती है। सोयाबीन की खली और भूसा पशुओं एवं मुर्गियों का आदर्श आहार माना जाता है। सोयाबीन की खली का प्रयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है। सोयाबीन की बढ़ती लोकप्रियता और बाज़ार में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए सोयाबीन की प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। सोयाबीन की प्रोसेसिंग से दूध, दुग्ध पाउडर, पनीर, दवाईयां, कीमती तेल, पापड़, बड़ियां आदि बनाए जा सकते है। इससे एक और तो बाज़ार में सोयाबीन की कीमत गिरने से रोका जा सकता है, तो दूसरी तरफ, सोयाबीन से नई–नई चीजें बनाकर उनका निर्यात कर सकते हैं। साथ ही, किसान अपनी आमदनी व रोज़गार के अवसर बढ़ा सकते हैं।

दलहन उत्पादों का प्रसंस्करण

अपने उत्पादन का अधिक मूल्य पाने हेतु फसल उत्पादकों द्वारा सफाई, ग्रेडिंग तथा मिंलिग जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण कार्य करने चाहिए। दाल बनाने से उसकी गुणवत्ता, पाचकता तथा उसके रंग–रूप आदि में सुधार होता है। भारत की आधी से अधिक आबादी के लिए दालें प्रोटीन और आवश्यक अमीनों अम्ल की आपूर्ति का सबसे सस्ता स्रोत भी हैं। दालों से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में विविध प्रकार के व्यंजन जैसे पापड़, कचरी, नमकीन, सादी बड़ी एवं बेसन आदि बनाये जा सकते हैं। इन्हें संरक्षित कर वर्षभर के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। बाद में इन्हें तलकर या विभिन्न सब्ज़ियों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। इससे न केवल प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को रोका जा सकता है, बल्कि दालों की भंडारण अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। दलहनी फसलों की हरी फलियों को परिष्कृत कर बेमौसमी सब्ज़ी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्यात की संभावनाएं

प्रसंस्कृत और मूल्य संवर्धित उत्पाद की पैकिंग कर उसे न केवल देश के भीतर बेचा जा सकता है बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। वर्ष 2020–21 में भारत का खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात 36,946 करोड़ रुपये का था। किसानों को राहत देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आलू–प्याज सहित कई सब्ज़ियों के प्रसंस्कृत उत्पादों के साथ ही खास आम के निर्यात की शुरुआत की है। आने वाले समय में अन्य देशों में इन उत्पादों का निर्यात होने से उत्पादकों को बेहतर दाम मिलेगा।

विश्व बाज़ार में घरेलू मसालों की खुशबू और गहरी हुई है। कोरोना काल के दौरान मसालों की मांग हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में होने से घरेलू बाज़ार के साथ निर्यात मांग में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई है। इस संबंध में मिर्च, अदरक, हल्दी, और जीरे वाली फसलों का प्रदर्शन शानदार रहा है। मसालों की बढ़ी मांग के मदेनजर इन फसलों की खेती का क्षेत्र भी बढ़ा है। निर्यात बाज़ार में घरेलू मसालों के प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलने से दुगुनी से अधिक विदेशी मुद्रा मिली है। इसका श्रेय सरकार की कई योजनाओं को दिया जा सकता है। मसालों की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया। जिसका असर वैश्विक बाज़ार में निर्यात पर पड़ा है। इसमें अदरक, मिर्च, हल्दी व जीरा की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। स्पाइस स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस–2021 के अनुसार मसाला निर्यात से वर्ष 2020–21 में कुल 29,535 करोड रूपये मूल्य की विदेशी प्राप्त हुई। बागवानी फसलों के कुल निर्यात में मसालों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत पहुंच गई है। खाद्य उत्पादों के निर्यात में समुद्री उत्पादों और चावल के बाद मसालों का ही स्थान है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में बासमती चावल का मुख्य उत्पादक और अग्रणी निर्यातक है। साथ ही, बासमती चावल विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी मुख्य कृषि उत्पाद है। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। वर्ष 2020–21 में बासमती चावल से निर्यात आय 25 हज़ार करोड़ रुपये आंकी गई।

गुलाब व गुलाब से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। गुलाब एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल है। फूलों को बेचने के अलावा गुलाब को विशेष रूप से गुलकंद व इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है जो सौन्दर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। वैश्विक बाज़ार में भारत के प्रसंस्कृत ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि भविष्य में इन उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी।

के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः देश के हर किसान को दालों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आवश्यक रूप से करना चाहिए, ताकि दालों का लम्बे समय तक भंडारण किया जा सके। इसके अलावा, किसानों को बाज़ार में इन उत्पादों के आकर्षक मूल्य प्राप्त होते हैं।

सब्ज़ियों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

कुछ सब्ज़ियों से निर्मित कई महंगे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, पेस्ट, पाउडर, मिठाइयां आदि बनाकर आय बढ़ाई जा सकती है। सब्ज़ियों का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गाजर, पेठा, लौकी व परवल से कई मिठाइयां बनायी जाती हैं। आज देश के अनेक भागों में इस पर अनेक छोटे–छोटे उद्योग चल रहे हैं। टमाटर से कैचप, सॉस, चटनी, प्यूरी, पेस्ट आदि कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। फूलगोभी, करेला, परवल, मिर्च व कुन्दरू आदि से अचार बनाया जा सकता है। लहसुन, प्याज, अदरक, करेला, पुदीना और चौलाई जैसी सब्ज़ियां पौष्टिक होने के साथ–साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। इनसे कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्याज व मेथी को छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर व सूखाकर मसाले की तरह बेचा जा सकता है। खरबूजे व खीरे के बीजों को कई मिठाइयां बनाने के अलावा ठंडे शर्बतों में प्रयोग किया जाता है। कई सब्ज़ियों जैसे करेला, कद्दू, तरबूज व चपनकद्दू के बीजों से खाद्य तेल भी निकाला जाता है। सब्ज़ियों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से न केवल खाद्य पदार्थों की भंडारण क्षमता बढ़ती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है।

हमारे देश में जलवायु में विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार के मसालों का भी उत्पादन होता है। अपने क्षेत्र में होने वाले मसालों जैसे अदरक, हल्दी और धनिया को अधिक क्षेत्र में उगाकर तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा परिष्कृत कर व अच्छी पैकेजिंग कर बाज़ार में बेचा जा सकता है।

फल प्रसंस्करण

संतरा, सेब, आम, अमरूद, नाशपाती, नींबू, लीची आदि ऐसे फल हैं जो मौसम के समय पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं परन्तु इनको ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यदि ऐसे उत्पादों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन किया जाए तो यह एक रोज़गार के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी व उचित भंडारण के अभाव में मौसमी फलों की अधिकांश मात्रा सड़–गलकर खराब हो जाती है। फलों में काफी अधिक मात्रा में एन्ज़ाइम पाए जाते हैं जिनके कारण फलों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। वे भूरे रंग के हो जाते हैं जिससे उनकी गंध, स्वाद एवं स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में फल प्रसंस्करण का कार्य जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, जैल आदि बनाने का कार्य थोड़े प्रशिक्षण से कुशलतापूर्वक

प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो का आयात कम से कम किया जा सके। आज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े स्तर पर युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन उद्योग को रोज़गार के रूप में अपनाया जा सकता है। भविष्य में दूध की समस्या के समाधान हेतु हमें दूध प्रसंस्करण पर भी ज़ोर देना होगा। निसंदेह खाद्यान्न फसलों, दलहन, तिलहन, दूध, फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं।

किया जा सकता है। तरबूज व खरबूज़ा के रस को पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, फलों से शर्बत, जैम, जैली व स्कवैश बनाना व केले से चिप्स बनाना, अंगूर से शराब व एल्कोहल बनाना आदि के द्वारा मूल्य संवर्धन किया जा सकता है और कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

डेयरी प्रसंस्करण

आज भारत 20.9 करोड़ टन वार्षिक दूध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है और दूध के मामले में आत्मनिर्भर है। दूध के प्रसंस्करण व परिरक्षण से उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है जिससे कम पूंजी लगाकर स्वरोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों व बेरोज़गार युवाओं के लिए दूध प्रसंस्करण एक अच्छा व्यवसाय है। दूध के प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन सें बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे दुग्ध पाउडर, दही, मक्खन, छाछ, घी, पनीर आदि के निर्माण एवं विपणन से ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दूध के प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन उद्योग के विस्तार से रोज़गार बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के प्रसंस्करण को व्यावसायिक स्वरूप देकर इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है।

खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं

अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में फल और सब्जियों का प्रसंस्करण मात्र 3 प्रतिशत ही किया जाता है। जबकि कई देशों में फल और सब्जियों के 80–90 प्रतिशत तक प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार किए जाते हैं। प्रसंस्करण द्वारा जहां फलों और सब्जियों का मूल्यवर्धन होता है, वही स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार मिलता है। देश में उपभोक्ताओं के बीच कई प्रकार के आयातित खाद्य पदार्थो की माँग बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए देश में ही खाद्य

खाद्य प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन हेतु कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो परिवहन के साधनों जैसे सडक, रेल आदि से अच्छी तरह जुडा हो, जहां स्वच्छ जल की उपलब्धता हो, कारीगर एवं श्रमिक आसानी से एवं सस्ती दरों पर मिल सके। प्रसंस्करण इकाई लगााने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, नई दिल्ली, एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, अपने राज्य के बागवानी विभाग से भी सलाह ली जा सकती है। आज देश में 725 कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है जो प्रायः बिना किसी शुल्क दिए प्राप्त किया जा सकता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी खाद्य उत्पाद बाज़ार में उतारने से पहले भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। किसान थोड़ी–सी जानकारी व ट्रेनिंग के साथ सफलतापूर्वक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। ऐसा करने से खेती में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। साथ ही पढ़े–लिखे युवा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को एक व्यवसाय के रूप में अपना कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र में कार्यरत है। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेलः v.kumardhama@gmail.com

ग्रामीण उद्यमिता में प्रचुर संभावनाएं

–शिशिर सिन्हा

अब जब देश 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर चल रहा हो तो उसमें दो तिहाई से ज़्यादा की आबादी और आधे से ज़्यादा की श्रमशक्ति वाले क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आबादी और यह श्रमशक्ति अकेले कृषि की बदौलत अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को और बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता बने और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और दुरुस्त हो।

ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब अखबारों में यह खबर सुर्खियों में रही कि खादी व ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2021–22 में 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार किया। पत्र सूचना आयोग की एक विज्ञप्ति ने कहा कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग देश की एकमात्र कंपनी है जिसने एक लाख करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

गौर करने की बात यह है कि खादी व ग्रामोद्योग में बड़ा हिस्सा ग्रामीण उद्योगों का है और आंकड़े बता रहे हैं कि अकेले ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारोबार 2021–22 में 1,10,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 92,214 करोड़ रुपये था। पिछले 8 वर्षों में यानी 2014–15 से 2021–22 के बीच ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में 172 प्रतिशत की और बिक्री में 245 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण उद्योग

अब गांव–देहात बस खेतीबाड़ी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उद्योगों का भी केंद्र बन रहे हैं। हालांकि यहां उद्योग का मतलब वो उद्यम नहीं जिसमें बड़ी पूंजी लगी हो, बड़े उद्यमी जुड़े हों, बड़ी संख्या में लोग काम करते हो और एक बड़ा–सा कारखाना हो। ग्रामीण इलाके में उद्योग का अपना ही स्वरूप है जिसकी परिभाषा संशोधित खादी व ग्रामोद्योग कानून 1987 में कुछ इस तरह दी गई है:

"ऐसा उद्यम जो ग्रामीण इलाके में स्थित हो, जो बिजली के उपयोग के बगैर वस्तु का उत्पादन करता हो या सेवा मुहैया कराता हो और जिसमें प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश एक लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो।" (पहाड़ी क्षेत्र में निवेश की यह सीमा 1.5 लाख रुपये होगी)

कानून में संशोधन के पहले/बाद यदि ग्रामीण इलाके के इतर कहीं भी स्थापित उद्यम को ग्रामीण उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है, वह जारी रहेगा। साथ ही, ग्रामीण उद्योग को ही प्रोन्नत, रखरखाव, मदद और सेवा करने के लक्ष्य के साथ स्थापित की गई गैर–विनिर्माण इकाई भी 'ग्रामीण उद्योग' कहलाएंगे।

खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण उद्योगों को सात समूहों में बांटा है। पहला समूह खनिज आधारित उद्योगों का है जिसमें मिट्टी और चूना–पत्थर से सामान बनाने का काम शामिल है। दूसरा समूह कृषि आधारित व खाद्य प्रसंस्करण का है जिसमें दाल व अनाज प्रसंस्करण, गुड़ व खांडसारी, खजूर का गुड़, फल व सब्जियों का प्रसंस्करण और ग्रामीण तेल आधारित उद्यम शामिल हैं। तीसरा समूह पॉलीमर व रसायन आधारित है जिसमें चमड़ा, गैर–खाद्य तेल व साबुन, सिलाई और प्लास्टिक सामान बनाने वाले उद्योग शामिल किए गए हैं। चौथा समूह वन–आधारित उद्योगों का है जिसमें औषधीय पौधों व मधुमक्खी पालन का काम मुख्य रूप से शामिल है। पाँचवां समूह हस्तनिर्मित कागज़ व रेशा आधारित उद्योगों का है। छठा समूह ग्रामीण अभियांत्रिकी व जैव तकनीक उद्योगों का है जिसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा, बढ़ई, लुहार और इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले उद्यम शामिल हैं। सातवां समूह सेवा क्षेत्र का है जिसमें संयोजन का काम करने वाले शामिल हैं।

कैसे बढ़े गाँवों में उद्यमिता

कहते हैं कि किसान से बड़ा कोई प्राकृतिक उद्यमी नहीं होता, क्योंकि वह हर तरह की पूंजी–मानवीय व भौतिक–कृषि में निवेश करता है। जोखिम उठाने से वह नहीं हिचकता और धैर्य की उसमें कोई कमी नही होती। और तो और अनिश्चितता से निबटने के लिए बिना किसी प्रबंधन संस्थान में गए बेहतर रणनीति बनाने में माहिर होता है। यदि यह सब खेतीबाड़ी में वो कर सकता है तो क्या उसे गैर–कृषि उद्यमों के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। कुछ इसी सोच के साथ सरकार की ओर से अलग–अलग योजनाएं चलायी जा रही हैं। एक नज़र ऐसी चुनिंदा योजनाओं परः–

1. स्टार्टअप इंडिया के तहत मदद– निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने शहरी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों को स्टार्टअप इंडिया के तहत फायदा पहुँचाने का रास्ता तैयार किया है। इस काम में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी की मदद ली जाती है। यह कार्यक्रम दरअसल ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पांरपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं की मदद करके गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है। इसकी शुरूआत 2008–09 में हुई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी योजना लागत का 25 फीसदी मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पर हासिल कर सकता है। अगर लाभार्थी विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी या सीमावर्ती इलाके से संबंधित है तो उसके लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 35 फीसदी तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, व्यापार चक्र के अलग–अलग चरणों के लिए स्टार्टअप हेतु विभिन्न तरह के फंड से भी मदद दी जाती है।

2. दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई– एनआरएलएम) के तहत पहल– इसके तहत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीआईपी) चलाया जा रहा है। इसके लाभार्थी डीएवाई– एनआरएलएम के स्वयंसहायता समूह ईकोसिस्टम से जुड़े होते हैं। इसे प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर चलाया जाता है। एक प्रखंड में 2400 उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इसके तहत मौजूदा उद्यम की तो मदद की ही जाती है, नए उद्यम लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। वित्त प्राप्त करने में ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करने के अलावा, उद्यमों को बिज़नेस सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए समुदाय संसाधन व्यक्ति–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) की मदद ली जाती है। एसवीआईपी के तहत एक प्रखंड को अभी करीब छह करोड़ रुपये की सहायता दी जा सकती है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 तक 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशें में 1.92 लाख से भी ज़्यादा उद्यमों को सहायता दी गई और 28 फरवरी, 2022 तक 1.97 लाख से ज़्यादा उद्यम स्थापित किए गए।

इस योजना की प्रगति को जानने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई ने) ने 2018–19 के दौरान मध्यावधि समीक्षा की। इसके नतीजे काफी उत्साहनजनक मिले, मसलन

- 82 फीसदी उद्यमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से थे।
- 75 फीसदी उद्यम महिला स्वामित्व वाले और महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे थे।
- कुल पारिवारिक आय का 57 फीसदी एसवीआईपी के अंतर्गत संवर्धित उद्यमों के माध्यम से है।
- उद्यमियों की औसत सकल आय उद्यमियों द्वारा उद्यम शुरू करने के समय सूचित की गई आकांक्षी आय से कहीं ज़्यादा पायी गई।
- लगभग 96 फीसदी उद्यमियों ने कहा कि उनकी बचत में वृद्धि हुई।
- 70 फीसदी उद्यमियों ने माना कि समुदाय उद्यम निधि से कर्ज़ लेना आसान था। यह इस बात को दर्शाता है कि योजना समावेशी रूप में आगे बढ़ रही है।

3. कौशल विकास–उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अभी 588 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

स्टार्टअप विलेज अंत्रेप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के तहत ग्रामीण उद्यमों को समर्थन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
आंध्र प्रदेश	3084	1783	4324	5586	2060
असम	0	0	0	548	1478
बिहार	3889	3167	5541	6844	2443
छत्तीसगढ़	1758	3179	2791	2707	2549
गुजरात	268	356	1788	984	1915
हरियाणा	857	1283	1924	2492	1033
जम्मू–कश्मीर	296	575	418	973	0
झारखंड	673	3437	2294	5218	3868
केरल	799	2808	7602	7327	5569
मध्य प्रदेश	2177	2901	4550	4791	4248
महाराष्ट्र	1818	1527	1161	0	0
मणिपुर	0	0	0	108	663
मेघालय	0	0	53	81	115
मिज़ोरम	0	0	0	320	333
नगालैंड	1109	1417	1487	12	0
ओडिशा	1096	2404	2969	4087	2301
पंजाब	0	146	537	637	351
राजस्थान	864	1140	2436	1733	1452
तमिलनाडु	0	0	859	1681	1084
तेलंगाना	257	858	2264	2659	2129
उत्तर प्रदेश	957	1808	2456	5109	4595
उत्तराखंड	0	0	9	459	557
पश्चिम बंगाल	1168	912	2102	2853	2880
कुल	**21070**	**29701**	**47565**	**57209**	**41623**

*फरवरी 2022 तक के आंकड़े

स्रोत: लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय का उत्तर

(आरएसईटीआई) चल रहे हैं जो ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं तक कौशल व उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा रहे हैं। इसकी बदौलत स्वरोज़गार का काम शुरू करने में सहायता मिल रही है। प्रशिक्षण के लिए वित्तीय मदद सरकार मुहैया कराती है।

4. महिलाओं की मदद–कृषि व कृषि संबंधी क्षेत्र में समूह उद्यमिता के विकास के लिए डीएवाई–एनआरएलएम के तहत महिला स्वामित्व वाले उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने में सरकार की ओर से मदद की जा रही है। इसकी बदौलत महिला किसान सदस्यों के एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन व के के माध्यम से उनके उत्पाद के लिए बेहतर बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करना है। इस तरह एक 'एंड–टू–एंड' समाधान के लिए संपूर्ण बिज़नेस मॉडल तैयार हो पा रहा है।

5. बड़े उत्पादक उद्यमों की मदद–ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बड़े उत्पादक उद्यमों के संवर्धन के लिए परियोजना विकास में मदद को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह की सहायता से एक खास उद्यम 'फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन (एफडीआरवीसी)' की स्थापना है। यह बड़े उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देकर मूल्य श्रृखंला परियोजनाएं तैयार करने और लागू करने में डीएवाई–एनआरएलएम की राज्य इकाइयों की सहायता करती है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत 183 उत्पादक उद्यम और 1.26 लाख उत्पादक समूहों को सहायता दी गई है।

संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमों की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यम की भूमिका को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका है कुल आबादी में गांवों की हिस्सेदारी और दूसरा, कुल सकल मूल्यवर्धन में कृषि व संबंधित गतिविधियों की हिस्सेदारी। पहले तरीके के तहत गौर करने की बात यह है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक, कुल आबादी में ग्रामीण आबादी की हिस्सेदारी 68.84 फीसदी है। कुल कार्यबल का 54.6 फीसदी कृषि व सहयोगी गतिविधियों में लगा है। वहीं दूसरे तरीके के तहत यह जानना ज़रूरी है कि 2021–22 में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि की हिस्सेदारी 18.8 फीसदी है।

मतलब साफ है। पहले तरीके के तहत यह ज़ाहिर हो गया है कि दो तिहाई से ज़्यादा आबादी और आधी से ज़्यादा श्रमशक्ति जब गाँवों में हो तो वहां पर उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई ज़रूरी कारण बनते हैं। मसलन, एक, सस्ता श्रम उपलब्ध होना और दूसरा, स्थानीय उत्पादों के लिए मांग का मुमकिन होना। दूसरी ओर, यह तथ्य अहम है कि जोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है और आज की तारीख में 86 फीसदी किसानों के जोत का आकार दो हेक्टेयर से भी कम का है। अब ऐसे में खेतीबाड़ी के इतर ऐसे ग्रामीणों के लिए ग्रामीण उद्योग खासे मददगार साबित हो सकते हैं। इससे एक फायदा तो यह होगा कि जोत पर बोझ घटेगा; वहीं दूसरी ओर, वैकल्पिक माध्यमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था

इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण उद्योगों के लिए संभावनाएं प्रचुर हैं। कोविडकाल के बाद भारी संख्या में शहर से कुशल लोगों की गाँव वापसी के बाद स्थानीय स्तर पर उद्यमिता की कई सफल कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो बड़े बाज़ार तक पहुँचने की है। इसके साथ ही गाँव–गाँव तक बुनियादी सुविधाएँ पहुंची हैं, लेकिन उनमें बड़े पैमाने पर सुधार और बेहतर रखरखाव की ज़रूरत है। तीसरी चुनौती समय पर पूंजी की उपलब्धता है।

को और मज़बूत बनाया जा सकता है जिसका फायदा अंत में पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

यहां एक पहलू यह भी है कि अगर ग्रामीण स्तर पर ही खेतीबाड़ी के अलावा दूसरी गतिविधियों के ज़रिए काम का इंतज़ाम हो जाए, तो शहरों की तरफ पलायन में भी कमी आएगी। इससे शहरों में बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम किया जा सकेगा और शहरों का भी विकास होगा जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

अब आप दूसरे तरीके यानी सकल मूल्य वर्धन में कृषि व सहायक गतिविधियों की हिस्सेदारी पर गौर करें। बड़ी आबादी और बड़ी श्रमशक्ति के बावजूद हिस्सेदारी पांचवें हिस्से से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि के साथ गाँवों में दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने की खासी संभावना है। आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ही ले लीजिए। यह एक ऐसा ज़रिया है जिससे कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन होगा और इससे ग्रामीणों की आय तो बढ़ेगी ही, कृषि व सहायक गतिविधियों का जीवीए भी बेहतर होगा। कुछ इसी तरह का फायदा पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे उद्यमों की बदौलत संभव है और इसमें कम निवेश पर बेहतर फायदा भी कमाना संभव हो सकेगा।

किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर और किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6000 रुपये देकर ही आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई दूसरे प्रयास भी ज़रूरी हैं। जैसे कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए सूक्ष्म या कुटीर उद्योग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खोली जाएं। स्थानीय स्तर पर भंडारण के उद्यम को विकसित किया जाए जिससे किसानों को अपने उत्पाद के जल्द खराब होने की चिंता नहीं हो और घबराहट भरी बिकवाली नहीं करनी पड़े।

ये ऐसे प्रयास हैं जो कई राज्यों में शुरू हो चुके हैं और उसका कुछ हद तक फायदा भी दिख रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे के 70 वें दौर की रिपोर्ट बताती है कि 2012–13 में कृषक परिवार की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी जो 77 वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018–19 में 10,218 रुपये पर पहुंच गई। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि आमदनी बढ़ने में स्थानीय स्तर के उद्यमों की भूमिका रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त है? निश्चित तौर पर नहीं। अभी बहुत सारे प्रयास की ज़रूरत है और उम्मीद है कि अगले दौर में मासिक आय की रकम और ज़्यादा दिखेगी।

ग्रामीण उद्योग की निर्यात में भूमिका

निर्यात में ग्रामीण उद्योग की हिस्सेदारी के सीधे–सीधे आंकड़े तो उपलब्ध नहीं, लेकिन कृषि और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के निर्यात के आंकड़ों में ग्रामीण उद्योगों की भूमिका कुछ हद तक समझी जा सकती है। पहले कृषि की बात कर लें। वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 50 बिलियन डॉलर के आगे पहुंच गया जिसमें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी 25.6 डॉलर की रही, जबकि बाकी हिस्सा अनाज व दलहन का रहा। यह दोनों ही आंकड़े अब तक के सर्वाधिक हैं। दूसरी ओर, एमएसएमई की बात करें तो वस्तुओं के कुल निर्यात में 48 फीसदी के करीब इस क्षेत्र की हिस्सेदारी है जिसमें महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण इलाके में स्थित हस्तशिल्प, बुनकर और दूसरे सामान बनाने वाले कुटीर उद्योगों का है। कृषि और एमएसएमई के निर्यात में और बढ़ोत्तरी होती है तो ग्रामीण स्तर पर उद्योगो को पनपने का और मौका मिलेगा।

आगे का सफर

इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण उद्योगों के लिए संभावनाएं प्रचुर हैं। कोविडकाल के बाद भारी संख्या में शहर से कुशल लोगों की गाँव वापसी के बाद स्थानीय स्तर पर उद्यमिता की कई सफल कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो बड़े बाज़ार तक पहुँचने की है। इसके साथ ही गाँव–गाँव तक बुनियादी सुविधाएँ पहुंची हैं, लेकिन उनमें बड़े पैमाने पर सुधार और बेहतर रखरखाव की ज़रूरत है। तीसरी चुनौती समय पर पूंजी की उपलब्धता है। हालांकि संगठित वित्तीय माध्यमों से कर्ज़ की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी गाँवों में असंगठित वित्तीय स्रोत चल रहे हैं जिससे उद्यमियों के लिए पूंजी की लागत काफी बढ़ जाती है।

अब जब देश 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर चल रहा हो तो उसमें दो तिहाई से ज़्यादा की आबादी और आधे से ज़्यादा की श्रमशक्ति वाले क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आबादी और यह श्रमशक्ति अकेले कृषि की बदौलत अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को और बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता बने और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और दुरुस्त हो। ऐसा हुआ तो ग्रामीण उद्योग, आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने में खासी मदद कर पाएंगे।

(लेखक आर्थिक पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई–मेलः hblshishir@gmail.com

समुचित भागीदारी- समावेशी लक्ष्य

–डॉ भारती प्रवीण पवार

"**आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्**" यानी निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया था। 'सबका साथ, सबका विकास' से प्रारम्भ प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए बीते आठ वर्षों में राष्ट्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' तक सुनहरी यात्रा करते हुए नौवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक वर्ष के दौरान मुझे भी इस यात्रा में मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के रूप में सहयात्री होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन के अवसर पर अपने संकल्प को लोकतंत्र को समर्पित किया।

आज जब दुनिया एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट से उबरने के लिए भारत की ओर देख रही है, तब प्रधानमंत्री का सक्षम नेतृत्व ही दिग्दर्शन के लिए एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही माना कि नए भारत का सपना, एक सशक्त और समर्थ भारत, तब तक साकार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक नागरिक सशक्त न हो और राष्ट्र निर्माण के मिशन में योगदान देने में सक्षम न हो।

इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना *आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना* का उद्देश्य इसका विस्तार 50 करोड़ से अधिक लोगों तक करने का है। ये वे लोग हैं, जो वर्तमान में किसी भी सरकारी या निजी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर नहीं हैं। इस तरह भारत दुनिया की पहली व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की दिशा में बढ़ रहा है। वर्तमान में 18 करोड़ 43 लाख से अधिक (नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में शामिल हो चुके हैं। यह योजना हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यही नहीं, 25 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया *पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन* अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। इसका उद्देश्य उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भारत की क्षमता को एक बहुत ही आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में एक आदर्श बदलाव लाएगा तथा इसे और अधिक सक्षम बनाएगा।

इसी तारतम्य में पिछले एक वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के सुधारों को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिए गए–चाहे वो ढांचागत हों या फिर मानव संसाधन से सम्बंधित, देश के प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने का विषय हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको पूरा करने की निरंतर कोशिश की है। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखते हुए कहा था कि 'देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। *स्वच्छ भारत अभियान* से लेकर *आयुष्मान भारत* और अब *आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन* तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी पहल का हिस्सा हैं। "प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि भारत सरकार महत्वाकांक्षी ज़िलों में मेडिकल कॉलेजों के साथ–साथ 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 से ज़्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के उन्नयन के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आगमन के साथ, अतीत की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान किया गया।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2021 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,01,319 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। इस आधार पर देखें तो पंजीकृत एलोपैथिक

डॉक्टरों तथा 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए देश में डॉक्टर–जनसँख्या का अनुपात 1:834 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से बेहतर है। इसके अलावा, देश में 2.89 लाख पंजीकृत दंत चिकित्सक, 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर तथा लगभग 33.41 लाख पंजीकृत उपचर्या कार्मिक भी हैं। यही नहीं, मंत्रालय के सकारात्मक प्रयासों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से स्नात्तक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है कि जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और क्षय रोग, वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं कालाज़ार, कुष्ठ रोग आदि जैसे प्रमुख रोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क सेवाओं के प्रावधान हेतु एनएचएम के तहत प्रदान की जा रही सहायता न केवल छूटे हुए और दुर्गम स्थलों पर रहने वाले बच्चों, जिसमें अल्पसेवित और दूरस्थ तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या अपितु सभी जनजातीय–बहुल ज़िले, जिनका समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, तक पहुंचाने के गंभीर प्रयास किए जाएं। साथ–साथ सिकल–सेल रोग के उन्मूलन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएं। त्रिपुरा और मिज़ोरम के दलित जिलों के प्रवास के दौरान लेखिका को यह जानने का सुअवसर मिला कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस प्रकार इन जनजातीय ज़िलों को मिला है।

प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करके 2025 तक टीबी को खत्म करने का संकल्प लिया था और इस दिशा में *टीबी मुक्त भारत अभियान* शुरू किया गया। क्षय रोग के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को एक जन पहल और जन आंदोलन बनाने की अपील की।

भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए देश में कोविड–19 टीकाकरण की खुराक का 100 करोड़ का महत्वपूर्ण आंकड़ा पिछले वर्ष अक्टूबर में ही पार कर लिया था। हर्ष का विषय है कि आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रहे हैं। *हर घर दस्तक अभियान* ने कोविड टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार पिछले एक वर्ष में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के विषय में सरकार के प्रयासों के चलते प्रेशर स्विंग एडसॉर्पशन (पीएसए) ऑक्सीजन जेनरेशन संयंत्रों को मंज़ूरी दी गई है और इसे देश के हर ज़िले में लगाया जाना है। सभी राज्य इसमें आगे आकर जन स्वास्थ्य केंद्रों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर पीएसए संयंत्र लगाने में सहयोग कर रहे हैं।

हाल ही में नासिक में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नये एलोपैथिक वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे तथा नागपुर के बाद नासिक चौथा शहर होगा जहाँ यह केंद्र शुरू किया जा रहा है। नासिक के सीजीएचएस वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र से शहर के लगभग 71,000 सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित 1.6 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। इससे पूर्व यहाँ के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए मुंबई अथवा पुणे जाना पड़ता था।

हम सब निश्चित रूप से 8 साल की यात्रा पर गर्व व गौरव का अनुभव कर सकते हैं। जहां तक गांव–गरीब–किसान, जनजातीय समुदाय का सवाल है तो सभी भली–भांति जानते हैं कि भारत सरकार हमेशा इसी तबके के लिए समर्पित रही है। पिछले एक–दो वर्षों में जम्मू कश्मीर की जनता ने सहभागी लोकतंत्र को मज़बूत किया है। निसंदेह जम्मू और कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

जनवरी 2018 में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयता प्रदान करके राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना है। महाराष्ट्र और मणिपुर के कुछ ज़िलों के प्रवास के दौरान लेखिका ने पाया कि इन ज़िलों के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, अवसंरचना आदि में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल के अंतर्गत केवड़िया, गुजरात में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और उन्हें लेकर राज्यों की नीतियों पर चर्चा हुई। इस शिविर में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऐसे अवसर देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी राह तय करते हैं।

अपार प्रसन्नता का विषय है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया है।* इस निर्णय में महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ समाज के गरीब, उपेक्षित, सीमांत, दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधियों को शीर्ष पद पर बैठाने, सत्ता में समुचित भागीदारी देने और उनमें गौरव एवं आत्मविश्वास भरने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है।

संकल्प से सिद्धि'तक के साँझा प्रयास को सफलता का साकार रूप देने की अभिलाषा के साथ आप सभी के लिए एक स्वस्थ और सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोगमुक्त रहें।

(लेखिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 7 जुलाई, 2021 को राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।)

* यह लेख माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने से पहले लिखा गया है।

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2022

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 330/- ई-बुक संस्करण ₹ 248/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in और मोबाइल ऐप **Digital DPD** पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : **businesswng@gmail.com**
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

@publicationsdivision @DPD_India @dpd_india

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित

रु. 12/-

रु. 22/-

रु. 15/-

सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 अगस्त, 2022 को प्रकाशित एवं 5-6 अगस्त, 2022 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Just Released

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु

समसामयिक घटनाचक्र

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

{ मई 2022 में प्रकाशित }

करेन्ट अफेयर्स 2022

Vol. 2

राष्ट्रीय | अन्तर्राष्ट्रीय | आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य | समसामयिक सामान्य ज्ञान | खेलकूद

Code No. 815
₹ 135.00

Code No. 807
₹ 145.00

अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी

समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर

Scan the QR Code with your mobile and open the link to see the range of extra issues.

ORPD002S

Download FREE QR Scanner app from the app store

प्रतियोगिता दर्पण
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
फोन : (0562) 4040735, 2530966 • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • हल्द्वानी मो. 07060421008

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : विबा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना